SHIVALIK

Shivalik Small Finance Bank

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

वाहन ऋण | वाणिज्यिक वाहन ऋण

ऋण समझौता

ग्राहक का नाम: _____

ऋण खाता सं.: _____

मुख्य तथ्य कथन

वाहन ऋण | वाणिज्यिक वाहन ऋण | इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन ऋण

1	ऋण राशि	(आंकड़ों में) रु. (शब्दों में) रु.	
2	ऋण अवधि		
3	ब्याज का प्रकार (स्थिर या अस्थिर)	तय	
4	(ए) प्रभार्य ब्याज (फ्लोटिंग रेट ऋण के मामले में)	लागू नहीं	
	(बी) प्रभार्य ब्याज (निश्चित दर ऋण के मामले में)	_____% प्रति वर्ष	
5	ब्याज पुनः निर्धारित करने की तिथि	लागू नहीं	
6	परिवर्तनों के संचार का तरीका ब्याज दरें	एसएमएस / ईमेल	
7	देय शुल्क		
	क. आवेदन पर	चार्ज का प्रकार	मात्रा
		प्रक्रमण संसाधन शुल्क	शून्य
		स्टाम्प पेपर शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
		बीमा प्रीमियम	शून्य
		अन्य शुल्क	
	ख. ऋण की अवधि के दौरान	चार्ज का प्रकार	मात्रा
		डुप्लिकेट कथन प्रभार	रु.100/- + जीएसटी
		बाउंस चार्ज	रु.600/- + जीएसटी
		बैंक के नोटिस शुल्क	रु.100/- + जीएसटी प्रति नोटिस
		कानूनी नोटिस शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
		वसूली शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
		संशोधन शुल्क	बकाया का 0.25% राशि के अधीन

			अधिकतम रु.5000/- + जीएसटी
		आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क	अग्रिम भुगतान का 2% राशि + जीएसटी
	सी. फौजदारी पर	I. 1 वर्ष तक - बकाया राशि का 4% + जीएसटी II. 1 से 3 वर्ष के बीच - बकाया राशि का 3% + जीएसटी III. 3 वर्ष बाद - बकाया राशि का 2% + जीएसटी	
	ऋण न चुकाने पर शुल्क वापसी योग्य स्वीकृत / वितरित	शून्य	
	ई. स्विचिंग के लिए रूपांतरण शुल्क फ्लोटिंग से फिक्स्ड ब्याज तक और विपरीतता से	लागू नहीं	
	विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना	अतिदेय राशि पर 2% प्रति माह	
8	देय ईएमआई	ईएमआई राशि -	
		ईएमआई प्रारंभ तिथि -05-<<महीना>>-<<वर्ष>>	
		ईएमआई की देय तिथि - 5वां हर महीने का	
9	सुरक्षा या संपार्श्विक का विवरण प्राप्त किया		
10	वार्षिक बकाया की तिथि शेष विवरण जारी किया जाएगा	उधारकर्ता की मांग पर	

तारीख: _____

को
प्रबंधक,
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,
शाखा: _____
शाखा पता: _____

प्रिय महोदय,

उप:मेरी ऋण राशि का वितरण: खाता सं. -_____

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मेरे टर्म लोन खाता संख्या _____ को डेबिट करके रुपये _____ के लिए मेरी ऋण राशि का वितरण करें और इस धनराशि को अपने बैंक के साथ मेरे एसबी/सीए/ओओ खाता संख्या _____ में स्थानांतरित करें।

(या)

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मेरे टर्म लोन खाता संख्या _____ से डेबिट करके मेरी ऋण राशि रु. _____ वितरित करें और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस धनराशि को NEFT/RTGS के माध्यम से स्थानांतरित करें:

बैंक का नाम : _____
शाखा : _____
खाता नंबर। : _____
आई०ऍफ़०एस० कोड : _____
खाता धारक का नाम : _____
खाते का प्रकार : _____

(या)

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मेरे टर्म लोन खाता संख्या _____ को डेबिट करके रुपये _____ के लिए मेरी ऋण राशि का वितरण करें और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर जारी करें:
पक्ष में : _____
देय राशि : _____

मैं ऋण राशि का उपयोग दिनांक _____ के ऋण आवेदन में बताए गए उद्देश्य के लिए करूंगा।

वाहन दृष्टिबंधक समझौता

वाहन दृष्टिबंधक का यह समझौता निम्नलिखित स्थान पर किया गया है:_____इस पर (स्थान) _____के दिन _____20 ____.

1. _____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
2. _____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
3. _____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
4. _____श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____

इसके बाद प्रथम भाग का "उधारकर्ता" कहा जाएगा।

या

श्री/श्रीमती

भारतीय निवासी मेसर्स के नाम और शैली के तहत एकमात्र स्वामी के रूप में व्यवसाय कर रहा है

–

इसके बाद प्रथम भाग का "उधारकर्ता" कहा जाएगा।

या

1)

2)

3) _____

4) _____

उपरोक्त सभी साझेदार भारतीय निवासी हैं और मेसर्स के फर्म नाम और शैली में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं _____

_____

इसके बाद प्रथम भाग का "उधारकर्ता" कहा जाएगा।

या

एमएस_____

कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां पर है _____

_____(श्री/सुश्री, (पदनाम) के ~~माध्यम से, जैसा कि इसके बोर्ड संकल्प दिनांक 06.04.2013 द्वारा~~

_____अधिकृत किया गया है) _____

इसके बाद प्रथम भाग का "उधारकर्ता" कहा जाएगा।

या

_____

_____

_____

_____

इसके बाद प्रथम भाग का "उधारकर्ता" कहा जाएगा।

और

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,(भारतीय) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएन: U65900DL2020PLC366027) के तहत निगमित एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में बैंकिंग कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सालकॉन ऑरम जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली 110025 में है और इसकी शाखाएं/संवाददाता अन्य बातों के साथ-साथ इस समझौते के अंत में उल्लिखित स्थान पर हैं (जिसे इसके बाद दूसरे भाग में "बैंक" कहा गया है)।

""उधारकर्ता"" शब्द का अर्थ, जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, अनुमत समनुदेशिती, प्रशासक, आधिकारिक रिसीवर, व्यवसाय में उत्तराधिकारी, शीर्षक आदि, जैसा भी मामला हो, शामिल होगा।"

""बैंक"" शब्द का अर्थ, जब तक कि उसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी इसमें सम्मिलित हैं।"

जबकि

(i) उधारकर्ता ने बैंक से अनुरोध किया है कि वह उधारकर्ता को परिवहन/निर्माण व्यवसाय के सामान्य क्रम में उसकी दैनिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए कुछ नए/प्रयुक्त उपकरण/मशीनरी, वाहन और सहायक उपकरण (जिन्हें आगे "परिसंपत्तियां" कहा जाएगा) खरीदने के लिए कुछ ऋण सुविधाएं प्रदान करे, जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है और जिसे आगे "उक्त ऋण सुविधाएं" कहा जाएगा;

(ii) उक्त ऋण सुविधाओं की मंजूरी के लिए बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि उधारकर्ता को उधारकर्ता और/या उधारकर्ता को ज्ञात तथा बैंक को स्वीकार्य किसी तीसरे व्यक्ति की परिसंपत्तियों को बैंक के पास बंधक रखना होगा तथा बैंक के पक्ष में एक करार निष्पादित करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त मंजूरी की शर्तों और नियमों को दर्ज किया जाएगा।

(iii) बैंक द्वारा उक्त ऋण सुविधाएं स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त करने के फलस्वरूप ऋणी निम्नलिखित प्रस्तुतियां देता है:

अब यह समझौता साक्षी है और उधारकर्ता इस प्रकार सहमत है और वचनबद्धता व्यक्त करता है:

1.1 ऋण राशि, ब्याज और पुनर्भुगतान:

इसमें निहित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, बैंक उधारकर्ता को उक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा, जिनका विवरण अनुसूची I में दिया गया है।

1.2 पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि, जहां ऋण सुविधा का लाभ नई/प्रयुक्त परिसंपत्ति की खरीद के लिए लिया जा रहा है, ऋण सुविधा की राशि बैंक द्वारा सीधे परिसंपत्ति के मालिक/विक्रेता या डीलर को वितरित की जाएगी और इस तरह के संवितरण को उधारकर्ता को संवितरण माना जाएगा, और जहां ऋण सुविधा का लाभ उधारकर्ता के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति के खिलाफ लिया जा रहा है, ऋण की राशि बैंक द्वारा उधारकर्ता को वितरित की जाएगी।

1.3 (A) उधारकर्ता उक्त ऋण सुविधाओं की बकाया राशि पर अनुसूची III में निर्दिष्ट दर पर मासिक छूट या ऐसे अन्य छूटों के साथ ब्याज का भुगतान करेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लागू निर्देशों के अधीन समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए जा सकते हैं।

(B) उधारकर्ता, ब्याज के अतिरिक्त, बैंक को, जैसा भी मामला हो, ब्याज कर और कोई अन्य कर या शुल्क का भुगतान या प्रतिपूर्ति करेगा जो इन ऋणों के तहत ब्याज भुगतान के संबंध में लगाया जा सकता है।

(C) उधारकर्ता को उक्त सुविधाओं के प्रथम आहरण/संवितरण की तिथि को या उससे पूर्व बैंक को अनुसूची III में उल्लिखित दर पर गैर-वापसीयोग्य वार्षिक सेवा शुल्क/प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा।

(D) इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, बैंक ऋणी को पूर्व सूचना देने के बाद ब्याज दर में वृद्धि / कमी करने का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसी वृद्धि / कमी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हो, के विपरीत न हो और इसके संबंध में ऋणी की कोई और सहमति या सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(E) एफआईआर परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी भी लाभ/हानि होने की स्थिति में, उक्त मासिक किस्तों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऋणी को ऋण की अवधि के अंत में लाभ/हानि की भरपाई प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि यदि एफआईआर परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋण की अवधि के किसी भी विस्तार के परिणामस्वरूप, नीति के अनुसार अधिकतम अवधि पार होने की संभावना है, तो बैंक ऋण की अंतिम किस्त में उचित परिवर्तन करेगा।

1.4 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उक्त ऋण सुविधाएं मांग पर चुकाई जा सकेंगी और बैंक किसी भी समय, अपने विवेक से, उधारकर्ता को लिखित रूप में सात स्पष्ट कार्य दिवसों का नोटिस देकर उक्त ऋण सुविधाओं को वापस ले सकता है। हालाँकि, सुविधा के लिए, ऋण राशि और उस पर ब्याज अनुसूची III में बताए गए विवरणों के अनुसार समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में चुकाया जाएगा। हालाँकि यह निर्दिष्ट किया गया है कि यह पुनर्भुगतान अनुसूची बैंक के संपूर्ण ऋण सुविधा को वापस बुलाने और मांग पर उक्त संपूर्ण ऋण सुविधा के साथ-साथ इसके संबंध में या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले सभी अन्य बकाया का भुगतान करने के पूर्वोक्त अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

1.5 पहली किस्त का भुगतान संवितरण के महीने के तुरंत बाद आने वाले महीने की पहली तारीख तक किया जाएगा और उसके बाद की किस्तों का भुगतान क्रमशः प्रत्येक अगले महीने की पहली तारीख तक या अनुसूची III में निर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा। इस ऋण सुविधा के अनुदान के लिए पुनर्भुगतान योजना का सख्त अनुपालन एक अनिवार्य शर्त है।

1.6 यदि ऋणकर्ता इस शर्त के तहत देय राशि के भुगतान में चूक करता है, चाहे वह उक्त ऋण सुविधाओं की बकाया राशि के पुनर्भुगतान के रूप में हो या ब्याज के भुगतान के रूप में या ऋणकर्ता द्वारा देय और देय किसी अन्य भुगतान के रूप में हो या ऋणकर्ता इस समझौते की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन या चूक करता हो या उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में किसी अन्य उपकरण के तहत, ऋणकर्ता बकाया राशि के संबंध में और ब्याज या अन्य चूक की राशि के संबंध में, चूक की तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुसूची III में निर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगा। ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है कि इस तरह के अतिरिक्त ब्याज की दर ऋणकर्ता की ओर से इस तरह के विलंब/चूक के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि का उचित अनुमान है। अतिरिक्त ब्याज का भुगतान ऋणकर्ता को इस तरह की चूक के संबंध में अन्य दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा या चूक के संबंध में बैंक के किसी भी अन्य अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि उपरोक्त सभी अतिरिक्त हैं और बैंक स्पष्ट रूप से उन सभी अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखता है जो उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक पर बैंक को प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा, और ऊपर बताई गई बातों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, उधारकर्ता उन सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के लिए भी उत्तरदायी होगा जो बैंक किसी भी तरह से पूर्वोक्त चूकों और बैंक उपायों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह से भुगतान या वहन कर सकता है, जिसमें बंधक परिसंपत्तियों के पुनः कब्ज़े या भंडारण या बिक्री या निपटान और पूर्ण क्षतिपूर्ति के आधार पर कानूनी लागतें शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से "बैंक को देय शेष" कहा जाता है।

1.7 अतिरिक्त दिनांकित चेक:

ऋण सुविधाओं के पुनर्भुगतान के लिए ऋणकर्ता ने उत्तर दिनांकित चेक जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। ऋणकर्ता को पता है कि ऋणकर्ता द्वारा जारी किए गए चेक का कोई भी अनादर ऋणकर्ता को अनादर के प्रत्येक कार्य के लिए अनुसूची III में निर्दिष्ट एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाएगा, साथ ही ऐसे अनादरित चेक की राशि के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी बना रहेगा। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और सहमत है कि इस तरह के शुल्क का लगाया जाना कानून के तहत बैंक के अन्य सभी अधिकारों के लिए प्रतिकूल नहीं है। चाहे; परक्राम्य लिखत अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या अन्यथा के तहत
हालांकि। यह भी आगे सहमति और समझ है कि बैंक द्वारा किसी भी कारण से चेक या उनमें से किसी को प्रस्तुत न करने से, किसी भी तरह से उधारकर्ता की देयता प्रभावित नहीं होगी। यदि उधारकर्ता द्वारा खंड 1.7 की शर्तों के अनुसार बैंक को दिए गए पोस्ट डेटेड चेक में से कोई एक या एक से अधिक या सभी चेक बैंक की हिरासत में रहते हुए खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या गलत जगह पर रख दिए जाते हैं, या हस्ताक्षरकर्ता या किसी या अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं (यदि एक से अधिक) की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन, प्राधिकरण की समाप्ति या अन्यथा या आहर्ता बैंक के परिसमापन या आहर्ता बैंक के किसी अधिस्थगन के कारण नकदीकरण योग्य नहीं रह जाते हैं। या बैंक के विवेकानुसार किसी भी कारण से प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में, उधारकर्ता बैंक से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसे किसी भी चेक को उसी दिन और उसी राशि के लिए भुगतान योग्य नए चेक के साथ प्रतिस्थापित / प्रतिस्थापित करेगा।

1.8 उधारकर्ता निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से ऋण सुविधा का पुनर्भुगतान कर सकता है:

a) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (ईसीएस), या

b) स्थायी अनुदेश (एसआई)

ऋणकर्ता वचन देता है कि ईएमआई के भुगतान के लिए ईसीएस/एसआई मोड में भाग लेने के लिए उसकी सहमति बैंक की स्वीकृति के बिना इस समझौते की अवधि के दौरान रद्द नहीं की जाएगी। यदि ऋणकर्ता ईसीएस/एसआई मोड में भाग लेने के लिए अपनी सहमति रद्द करता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसा बैंक को धोखा देने के लिए किया गया है और इसलिए, ऋणकर्ता को वर्तमान में लागू कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

1.9 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी विशिष्ट निर्देश के बावजूद:

(a) बैंक को पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि वह ऋणी से प्राप्त किसी भी भुगतान को पहले अतिदेय राशि के संबंध में मुआवजे/ब्याज के रूप में तथा शेष राशि को, यदि कोई हो, इस समझौते के तहत अतिदेय राशि के रूप में विनियोजित कर ले;

(b) बैंक के पास इस समझौते के तहत उधारकर्ता से प्राप्त किसी भी भुगतान को बैंक के साथ किसी भी अन्य समझौते के तहत बकाया के संबंध में विनियोजित करने का पूर्ण विवेक होगा;

(c) बैंक को इस समझौते के तहत बकाया राशि, मुआवजे या किसी अन्य देयताओं के विरुद्ध या बैंक के साथ किसी अन्य समझौते के तहत देयताओं के संबंध में उधारकर्ता से प्राप्त जमाराशियों, यदि कोई हो, को विनियोजित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

1.10 इस समझौते के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा किए जाने वाले सभी पुनर्भुगतान अनुसूची III में निर्दिष्ट स्थान पर किए जाएंगे।

1.11 ऐसे मामले में, जहां एकाधिक परिसंपत्तियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाती है, उधारकर्ता द्वारा यह विशेष रूप से समझा और सहमति व्यक्त की जाती है कि बैंक अपने लेखांकन उद्देश्यों के लिए उपरोक्त ऋण सुविधा को वित्तपोषित परिसंपत्तियों की संख्या के अनुरूप अलग-अलग उप-खातों में प्रतिबिंबित / उप-विभाजित करेगा। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को किया गया कोई भी भुगतान बैंक द्वारा आनुपातिक रूप से प्रत्येक उक्त खाते में विभाजित किया जाएगा। उपर्युक्त के बावजूद, बैंक अपने विवेक से उधारकर्ता से प्राप्त किसी भी भुगतान (या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से) को किसी भी ऐसे उप-खाते के विरुद्ध विनियोजित करने का हकदार होगा। इस तरह का विभाजन किसी भी तरह से प्राप्त ऋण सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में बैंक के पास सभी परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक को प्रभावित नहीं करेगा और एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एक उप-खाते के निपटान से सुरक्षा के रूप में ली गई परिसंपत्तियां तब तक जारी नहीं होंगी, जब तक कि उधारकर्ता का बैंक को बकाया पूरा नहीं चुका दिया जाता है।

1.12 उधारकर्ता एतद्द्वारा समझौते के तहत देय विभिन्न राशियों के संबंध में बैंक को मांग वचन पत्र निष्पादित करता है और देता है और आगे सहमत होता है कि बैंक उक्त वचन पत्र/पत्रों पर बातचीत करने और/या उस पर वाद दायर करने का हकदार होगा।

2. उधारकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व :

2.1 उधारकर्ता एतद्द्वारा घोषणा, प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:

a) वह/वह इस बात से अवगत हैं कि बैंक उक्त परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उनके द्वारा किए गए ऋण आवेदन के आधार पर तथा उधारकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विश्वास करते हुए तथा उसे सत्य मानते हुए उक्त ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

b) उक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं और ऋणी तब तक सभी अनुमतियों को वैध और विद्यमान रखेगा जब तक कि उक्त ऋण सुविधाओं के विरुद्ध बैंक को देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता।

c) इस करार को निष्पादित करने वाले उधारकर्ता के अधिकारी तथा इसके अनुसरण में निष्पादित दस्तावेज, विधिवत् तथा उचित रूप से पद पर हैं तथा उन्हें निष्पादित करने के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकृत हैं।

d) यह समझौता और इसके अनुसरण में निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेज, जब निष्पादित और वितरित किए जाएंगे, तो उधारकर्ता के वैध और बाध्यकारी दायित्व बनेंगे:

e) उधारकर्ता के विरुद्ध उसके समापन, विघटन, प्रशासन, पुनर्गठन या उधारकर्ता या उसकी सभी या किसी भी परिसंपत्ति या उपक्रम के लिए रिसीवर, प्रशासक की नियुक्ति के लिए कोई कॉर्पोरेट कार्रवाई या कोई कदम नहीं उठाया गया है या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या धमकी नहीं दी गई है।

f) इस समझौते की तिथि तक, कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा, कार्यवाही या विवाद लंबित या खतरे में नहीं है।

उधारकर्ता, जिसके प्रतिकूल निर्धारण से उधारकर्ता की अनुसूची। में वर्णित ऋण सुविधाओं को चुकाने की क्षमता पर काफी हद तक प्रभाव पड़ सकता है या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति पर भौतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

g) इस समझौते का निष्पादन और वितरण तथा इसके अंतर्गत इसके दायित्वों का निष्पादन:

1) किसी भी लागू कानून, क़ानून या विनियमन या किसी निर्णय या डिक्री का उल्लंघन करना जिसके अधीन उधारकर्ता है,

2) किसी भी मौजूदा समझौते के तहत किसी भी अनुबंध, शर्तों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप संघर्ष या परिणाम, जिसमें उधारकर्ता एक पक्ष है।

3) उधारकर्ता के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के किसी भी प्रावधान का विरोध या उल्लंघन करना;

h) ऋणी की वित्तीय स्थिति में कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, न ही ऋणी के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तिथि से कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो बैंक के हित के लिए हानिकारक हो, जिससे इस करार के अंतर्गत सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के ऋणी के दायित्व पर भौतिक और/या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

i) उधारकर्ता विक्रेता/निर्माता/डीलर से परिसंपत्तियों की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा। बैंक देरी और डिलीवरी/संवितरण, किसी भी विलंब शुल्क लागत या परिसंपत्ति की गुणवत्ता/स्थिति/फिटनेस के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उधारकर्ता उपरोक्त के संबंध में बैंक को किसी भी दायित्व से मुक्त करता है और इस आधार पर निर्धारित ईएमआई का भुगतान नहीं रोकेगा कि परिसंपत्ति वितरित नहीं की गई है।

2.2 उपरोक्त खंड 2.1 में दिए गए अभ्यावेदन और वारंटियां इस समझौते की तारीख से प्रत्येक दिन उधारकर्ता द्वारा दोहराई गई मानी जाएंगी, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय या बकाया सभी धनराशि पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती है, जैसे कि उस दिन मौजूद तथ्य और परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया हो।

3 दृष्टिबंधक की शर्तें:

3.1 बैंक द्वारा उक्त ऋण सुविधाओं को मंजूरी देने के लिए सहमत होने के विचार में, उधारकर्ता एतद्द्वारा अनुसूची II में सामान्य शब्दों में वर्णित परिसंपत्तियों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से ("बंधक परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है) को बैंक को भुगतान के लिए बैंक के पक्ष में बंधक रखता है और उन पर प्रथम और अनन्य प्रभार के रूप में प्रभारित करता है, यदि उधारकर्ता द्वारा उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंक को किसी भी समय देय और भुगतान योग्य सभी धनराशियां, जिसमें उक्त ऋण सुविधाओं का बकाया शेष शामिल है, तथा सभी विनिमय पत्र, वचन पत्र या अन्य परक्राम्य लिखतों पर देय धनराशियां, जिन पर बैंक ने छूट दी हो या जिनमें बैंक की रुचि हो, तथा सभी ब्याज, लागत, प्रभार और व्यय (पूर्ण क्षतिपूर्ति के आधार पर कानूनी लागत सहित, जिसका भुगतान बैंक कर सकता है)

उक्त ऋण सुविधाओं या उक्त बंधक परिसंपत्तियों या उनके पुनः कब्जे या भंडारण या बिक्री या निपटान के संबंध में किसी भी तरह से भुगतान या व्यय करना) जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से "बैंक को देय शेष" कहा जाएगा। उक्त बंधक परिसंपत्तियों में कोई भी परिवर्धन, सुधार या कुर्की, चाहे उधारकर्ता द्वारा की गई हो या अन्यथा और चाहे उधारकर्ता की लागत पर हो या अन्यथा और चाहे बैंक की स्वीकृति से हो या उसके बिना, बंधक परिसंपत्तियों का हिस्सा मानी जाएगी और उसी तरह और पूरी और कुल सीमा तक समझौते की शर्तों और नियमों के अधीन होगी, जैसे कि ऐसे परिवर्धन / सुधार या कुर्की से पहले बंधक परिसंपत्ति थी।

3.2 इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद बंधक माना जाएगा। यदि परिसंपत्ति को मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत "मोटर वाहन" या वाहन माना जाता है, तो उधारकर्ता को पंजीकरण प्रमाणपत्र पर यह पुष्टि मिल जाएगी कि वाहन बैंक के पास बंधक है।

3.3 उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत होता है कि बंधक रखी गई संपत्तियां (क) अन्य सभी धनराशियों के लिए भी सुरक्षा होगी जो उधारकर्ता द्वारा बैंक को किसी भी खाते में, चाहे वर्तमान में या भविष्य में देय हो सकती हैं, जिसमें उधारकर्ता की अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जमानतदार या सह-दायित्वकर्ता के रूप में देयता शामिल है और (ख) उधारकर्ता की समूह कंपनियों / सहयोगी को दी जाने वाली / जारी रखी जाने वाली ऋण सुविधा / सुविधाएं, जैसा कि घोषित किया गया है।.

3.4 ऋणकर्ता बैंक के साथ सहमत है और वचन देता है कि बैंक के पास बंधक परिसंपत्तियों पर एक विशेष प्रभार होगा और ऋणकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी तरह से बंधक परिसंपत्तियों या उनमें से किसी में किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के पक्ष में कोई हित नहीं बनाएगा। इस समझौते के तहत ऋणकर्ता द्वारा बनाया गया प्रभार/सुरक्षा तब तक जारी रहेगी और लागू रहेगी जब तक कि इस समझौते के तहत सभी अन्य बकाया और बैंक से ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जाने वाले सभी अन्य ऋण/सुविधा के संबंध में पूरी तरह से भुगतान नहीं हो जाता है और बैंक

इस समझौते के तहत बनाई गई सुरक्षा के भुगतान का प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऋणकर्ता की देयता ऋणकर्ता के समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) या किसी विलय या समामेलन, प्रबंधन के पुनर्निर्माण अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) से प्रभावित, क्षीण या समाप्त नहीं होगी। ऋणकर्ता वचन देता है कि उसके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा बैंक को देय शेष राशि या बैंक से ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य वित्तीय लाभ के लिए वैध रहेगी।

3.5 ऋणकर्ता उक्त ऋण सुविधाओं को और अधिक सुरक्षित करने तथा ऐसी अन्य सुरक्षा बनाने तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करने का वचन देता है, जिनकी बैंक को उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। जहां भी लागू हो, ऋणकर्ता इस समझौते के आधार पर बैंक के पक्ष में बनाए गए प्रभार को कंपनियों के रजिस्टर में पंजीकृत करने तथा ऐसे प्रभार पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति बैंक को उसके अभिलेखों के लिए प्रस्तुत करने का वचन देता है।

3.6 उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों और उन संपत्तियों का ब्यौरा घोषित करना होगा, जिन्हें अनुसूची IV में निर्धारित वित्तीय सहायता के लिए बैंक को प्रतिभूति के रूप में नहीं दिया गया है।

3.7 उधारकर्ता एतद्द्वारा घोषणा करता है कि सभी वर्तमान बंधक परिसंपत्तियां उधारकर्ता की पूर्ण संपत्ति हैं, उधारकर्ता के एकमात्र स्वामित्व में हैं और उधारकर्ता के एकमात्र निपटान में हैं और इस अनुबंध में निर्धारित के अलावा, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रभार या भार से मुक्त हैं और भविष्य में बंधक परिसंपत्ति भी उधारकर्ता की एकमात्र भारमुक्त, पूर्ण और निपटान योग्य संपत्ति होगी।

3.8 (i) ऋणकर्ता को गैरेज और अन्य परिसरों के संबंध में सभी किराए, करों और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा, जिसमें बंधक संपत्ति संग्रहीत की जाती है या रखी जा सकती है। ऋणकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे गैरेज और अन्य परिसर आग, आगजनी, नागरिक उपद्रव, दंगा और बैंक द्वारा निर्देशित ऐसे अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान या क्षति के विरुद्ध उनके पूर्ण बाजार मूल्य की सीमा तक पूरी तरह से बीमाकृत हैं। ऋणकर्ता ऐसी पॉलिसियों पर सभी प्रीमियम का भुगतान समय पर और विधिवत करेगा और निरीक्षण के लिए मूल रसीदें बैंक को प्रस्तुत करेगा और बैंक के रिकॉर्ड के लिए उनकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा। ऋणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पॉलिसियाँ इस सुरक्षा के अस्तित्व के दौरान चालू रखी जाएँ और ऋणकर्ता ऐसा कुछ नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जिसके कारण ऐसा बीमा रद्द हो सकता है। ऋणकर्ता ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी को बैंक को सौंपेगा और ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त किसी भी पॉलिसी की सभी आय का भुगतान बैंक को करेगा।
(ii) यदि ऋणी अपने पूर्वोक्त दायित्व में विफल रहता है, तो बैंक अपने विवेकानुसार ऐसे किराए और व्यय का भुगतान कर सकता है तथा परिसर या गैरेज का बीमा करा सकता है और ऋणी इस प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा भुगतान की गई सभी धनराशियों की प्रतिपूर्ति करने का वचन देता है। प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा मांग किए जाने पर की जाएगी और ऐसे भुगतान में चूक होने पर बैंक ऋणी के बैंक खाते में भुगतान की गई राशि को डेबिट करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके बाद ऐसी राशि पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर ब्याज लगेगा।

3.9 (क) उधारकर्ता को बंधक रखी गई संपत्तियों को समय-समय पर दुर्घटना, आग, आगजनी, बिजली, दंगा, नागरिक उपद्रव, युद्ध, चोरी, सेंधमारी, तीसरे पक्ष की देनदारियों और ऐसे अन्य जोखिमों के विरुद्ध पूर्ण और व्यापक रूप से बीमाकृत रखना होगा, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, उसके पूर्ण बाजार मूल्य की सीमा तक। बीमा पॉलिसी(यों) को बैंक के पक्ष में सौंपा जाएगा, ताकि उधारकर्ता से उस पॉलिसी(यों) में निहित सुरक्षा के चालू रहने के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों और सभी संभावित दावों को प्रभावी रूप से बैंक को हस्तांतरित किया जा सके। उधारकर्ता को हर साल बैंक को सौंपी गई सभी ऐसी पॉलिसियों/कवर नोटों को मूल रूप में तुरंत सौंपना होगा और ऐसी पॉलिसियों पर सभी प्रीमियम का विधिवत और समय पर भुगतान करना होगा और निरीक्षण के लिए बैंक को मूल रसीदें प्रस्तुत करनी होंगी और बैंक के रिकॉर्ड के लिए उनकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभी बीमा पॉलिसियां इन प्रतिभूतियों के अस्तित्व के दौरान क्रियाशील रखी जाएं तथा उधारकर्ता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जिसके कारण ऐसा बीमा बीमाकर्ता कंपनी द्वारा रद्द या निरर्थक कर दिया जाए।

(b) ऋणी द्वारा पूर्वोक्त अनुसार बंधक आस्तियों का बीमा कराने में चूक होने पर, बैंक अपने पूर्ण विवेक से, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी दायित्व के बिना, बंधक आस्तियों का बीमा करा सकता है और/या उसके संबंध में प्रीमियम का भुगतान कर सकता है और ऋणी इसके द्वारा बैंक द्वारा ऐसा करने में भुगतान की गई/व्यय की गई सभी राशियों की मांग किए जाने पर बैंक को प्रतिपूर्ति करने का वचन देता है और ऋणी द्वारा ऐसी राशियों के भुगतान में चूक होने पर, बैंक को ऐसी राशियों को ऋणी के बैंक खाते(खातों) से डेबिट करने की स्वतंत्रता होगी और ऐसी राशियों पर अनुसूची III में दिए गए समान दरों पर ब्याज लगेगा।

(c) यदि किसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा कंपनी से कोई राशि प्राप्त होती है, तो बैंक के पूर्ण विवेक पर, इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग खोई हुई या क्षतिग्रस्त बंधक परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन में या इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत बैंक के प्रति उधारकर्ता की देयता के परिसमापन में किया जा सकता है।

3.10 उधारकर्ता बंधक रखी गई परिसंपत्तियों को सभी प्रकार से अपनी लागत और जोखिम पर अच्छी और पूर्णतः कार्यशील स्थिति में रखेगा और बनाए रखेगा तथा उधारकर्ता किसी भी कारण से बंधक रखी गई परिसंपत्तियों को होने वाली हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें चोरी, मौसम से क्षति और गुणवत्ता में गिरावट शामिल है।

3.11 उधारकर्ता बैंक से लिखित में स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी तरह से बंधक रखी गई संपत्ति को बंधक नहीं बनाएगा या हस्तांतरित नहीं करेगा। उधारकर्ता प्रत्येक संपत्ति के पंजीकरण प्रमाणपत्र को बैंक के नाम पर प्रमाणित करवाने का वचन देता है ताकि यह तथ्य स्पष्ट हो सके कि संपत्ति बैंक के पास बंधक है। बंधक रखी गई संपत्ति का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला माना जाएगा, जिसके कारण बैंक उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने का हकदार होगा।

3.12 उधारकर्ता को प्रत्येक महीने के अंतिम दिन बैंक को बंधक परिसंपत्तियों की भौतिक स्थिति और उनके स्थान के बारे में विवरण प्रस्तुत करना होगा, जहां वे पार्क किए गए हैं या वे पारगमन में हैं और यदि हां, तो उसका विवरण। ऐसे विवरण बैंक को उस तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर दिए जाएंगे, जिससे वे संबंधित हैं और उधारकर्ता के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। विवरण ऐसे प्रारूप में होंगे, जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकता है और ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा, जैसा कि बैंक द्वारा अपेक्षित हो सकता है, इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता बैंक को बंधक परिसंपत्तियों और उधारकर्ता के व्यवसाय के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा, जैसा कि बैंक द्वारा अपेक्षित हो सकता है।

3.13 यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो उधारकर्ता को उन सभी स्थानों पर, जहां बंधक रखी गई आस्तियों को रखा जा सकता है, ऐसे साइन बोर्ड प्रदर्शित कराने होंगे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हों कि बंधक रखी गई आस्तियां बैंक के पास बंधक रखी गई हैं; साइन बोर्ड ऐसे तरीके और रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे, जैसा कि बैंक द्वारा अपेक्षित हो।

3.14 (क) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि सभी बंधक परिसंपत्तियां किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हैं तथा किसी भी प्रकार का पिछला भार, उस व्यक्ति या संस्था की पूर्ण संतुष्टि के लिए पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिसके पास बंधक है।
इस तरह का भार उत्पन्न होने पर उधारकर्ता द्वारा बैंक के पक्ष में कोई दायित्व नहीं होगा। उधारकर्ता यह भी घोषणा करता है कि उक्त बंधक आस्तियाँ और उनसे संबंधित सभी दस्तावेज उधारकर्ता द्वारा बैंक के लिए एक जमानती की हैसियत से ट्रस्ट में रखे जाएँगे।

(b) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बंधक रखी गई परिसंपत्तियों या उनमें से किसी पर कोई भार या भार नहीं बनाया जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई परिसंपत्तियों पर बनाई गई सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

3.15 (क) उधारकर्ता बैंक के साथ यह वचनबद्धता करता है कि उधारकर्ता किसी भी घटना के घटित होने या संभावित घटित होने के बारे में बैंक को अवगत कराएगा, जिससे उधारकर्ता की उक्त ऋण या उस पर ब्याज चुकाने की क्षमता प्रभावित होने की संभावना हो या उक्त ऋण सुविधाओं के लिए सुरक्षा या उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंक के प्रति उधारकर्ता के दायित्वों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(b) पूर्ववर्ती उप-खंडों में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता बैंक के साथ सहमत होता है और बैंक के प्रति वचनबद्धता प्रदर्शित करता है कि उधारकर्ता निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के घटित होने या संभावित घटित होने पर बैंक को तत्काल सूचित करेगा, अर्थात:

i) किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उधारकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करना, उधारकर्ता के विरुद्ध धन का दावा करना, या उधारकर्ता द्वारा दी गई किसी गारंटी को उधारकर्ता के विरुद्ध लागू करना।

ii) किसी भी कारण से बंधक परिसंपत्तियों को कोई क्षति होना।

iii) बंधक रखी गई परिसंपत्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार का संकट या न्यायालय की कार्यवाही।

iv) किसी भी ऐसी घटना का घटित होना जिससे उधारकर्ता के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जिसमें औद्योगिक कार्रवाई, उधारकर्ता से वैधानिक बकाया राशि वसूलने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं।

v) यदि उधारकर्ता के संविधान या स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है जो बैंक की राय में प्रतिकूल है।

3.16 (A) उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और बैंक तथा उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को निम्नलिखित सभी प्रयोजनों के लिए अपने विधिवत् गठित वकील नियुक्त करता है, अर्थात्:

vi) किसी भी स्थान पर प्रवेश करना जहां कोई भी बंधक परिसंपत्ति हो तथा उसका निरीक्षण करना तथा उसका मूल्यांकन करना।

vii) सभी या किसी भी बंधक परिसंपत्तियों और/या उनसे संबंधित दस्तावेजों को, जिसमें उनमें मौजूद सामग्री भी शामिल है, जिनके भी कब्जे में हो, अपने कब्जे में लेना तथा यदि वे खतरनाक और/या शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति के हैं तो उनका तुरंत निपटान करना।

viii) उधारकर्ता के लिए और उसकी ओर से तथा सभी प्रकार से उधारकर्ता के जोखिम पर किसी भी बंधक आस्तियों को बेचना तथा उसकी बिक्री से प्राप्त राशि का पूर्ण या आंशिक हिस्सा प्राप्त करना।

ix) किसी भी बंधक आस्तियों की वसूली के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना, जिसमें कोई दावा, वाद, याचिका या अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू करना, उक्त प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक वकालतनामे और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उनका निष्पादन करना तथा ऐसे वाद या कार्रवाई का समझौता या निपटान करना शामिल है।

x) सामान्यतः इन दायित्वों के अंतर्गत या इनसे संबंधित या इनसे संबंधित सभी मामलों में सभी कार्यों, कर्मों, मामलों, चीजों और दस्तावेजों को निष्पादित करना, निष्पादित करना या निष्पादित करवाना, जैसा कि उधारकर्ता स्वयं कर सकता है या निष्पादित कर सकता है।

xi) तथा पूर्वोक्त विभिन्न मामलों और बातों को बेहतर ढंग से या अधिक प्रभावी ढंग से करने, कार्यान्वित करने और निष्पादित करने के लिए समय-समय पर या सामान्य रूप से ऐसे अन्य व्यक्तियों, निकायों, कंपनियों, संगठनों या एजेंसियों को नियुक्त करना, जिन्हें बैंक अपनी इच्छानुसार अपने स्थानापन्न या स्थानापन्नों के रूप में उचित समझे और उनके स्थान पर अन्य या अन्य लोगों को नियुक्त करना।

xii) ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग ऋणकर्ता को कोई पूर्व सूचना दिए बिना किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त वह बैंक या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी स्थानापन्न द्वारा उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग में विधिपूर्वक किए जाने वाले या करवाए जाने वाले सभी कार्यों की पुष्टि करने के लिए भी सहमत है।

xiii) उधारकर्ता बैंक तथा उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सभी प्रकार की सहायता देने के लिए सहमत है, जिसमें दस्तावेजों का समर्थन करना, कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर करना, तथा बैंक और उसके अधिकारियों को एतद्द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सभी कार्य करना शामिल है।

xiv) उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि उपरोक्त शक्तियां मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रदान की गई हैं और ये सभी शक्तियां तब तक अपरिवर्तनीय रहेंगी जब तक कि उक्त ऋण सुविधाओं और/या इन उपहारों के संबंध में या उनके अनुसरण में कोई भी राशि बकाया, बकाया या भुगतान योग्य बनी हुई है।

3.17 उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि बैंक को अपने विवेक के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर उक्त खाते पर अग्रिम देने या जारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी और वह उधारकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय आगे कोई संवितरण रोकने और/या उक्त खाते को बंद करने का हकदार होगा।

3.18 ऋणकर्ता संबंधित सड़क परिवहन कार्यालय से पंजीकरण प्रमाणपत्र पुस्तिका में बंधक का समर्थन करवाने का वचन देता है। यदि ऋणकर्ता कोई कंपनी है, तो वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इस प्रभार को पंजीकृत करवाने का वचन देता है।

3.19 उधारकर्ता को बैंक द्वारा जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो वह बैंक के समक्ष अपनी परिसंपत्तियाँ प्रस्तुत करेगा, ताकि बैंक उक्त परिसंपत्ति(यों) का निरीक्षण कर सके। उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि बैंक और उसके अधिकृत प्रतिनिधि, कर्मचारी और एजेंट हर समय परिसंपत्ति(यों) का निरीक्षण करने के हकदार होंगे और इस उद्देश्य के लिए बिना किसी सूचना के, उस परिसर, गोदाम या गैरेज में प्रवेश करने के हकदार होंगे जहाँ बंधक परिसंपत्तियाँ रखी या पार्क की गई हैं, और यदि आवश्यक हो, तो भंडारण के ऐसे किसी भी स्थान को तोड़ सकते हैं।

3.20 उधारकर्ता इस बात से अवगत है और स्पष्ट रूप से सहमत है कि इस समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध माना जाएगा और बैंक ऐसे उल्लंघन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो।

4. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

उधारकर्ता को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटनाओं के घटित होने पर चूककर्ता माना जाएगा, अर्थात:

(a) मांग पर ऋण राशि के किसी भी भाग का या इन प्रावधानों के तहत या उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में देय किसी अन्य प्रभार का बैंक को भुगतान करने में विफलता।

(b) उधारकर्ता द्वारा उक्त ऋण सुविधाओं या उसके किसी भाग का दुरुपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाना, जिसके लिए उक्त ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई हों।

(c) उधारकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार से बंधक रखी गई परिसंपत्तियों या उसके किसी भाग में किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) का हित बनाना।

(d) उधारकर्ता द्वारा किया गया विवरण किसी भी प्रकार से असत्य पाया गया।

(e) उधारकर्ता द्वारा इसमें निहित किसी भी नियम, अनुबंध और शर्त का उल्लंघन करना।

(f) ऋणदाता द्वारा बैंक के प्रति किसी अन्य दायित्व के संबंध में, चाहे इस अनुबंध के अंतर्गत हो या किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत और/या कानून के अंतर्गत या अन्यथा, कोई चूक होना।

(g) उधारकर्ता इस समझौते या उधारकर्ता द्वारा बैंक के साथ किए गए किसी अन्य समझौते के किसी भी नियम व शर्त का पालन करने, निष्पादित करने, अनुपालन करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है या उसका उल्लंघन करता है तथा उधारकर्ता की ओर से पालन, निष्पादित, अनुपालन या अनुपालन किया जाना है।

(h) उधारकर्ता द्वारा किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति, निकाय या संस्था के साथ किए गए किसी अन्य समझौते का उल्लंघन करना।

(i) उधारकर्ता की किसी भी समूह कंपनी या सहयोगी द्वारा बैंक के साथ किए गए किसी भी समझौते की शर्तों का उल्लंघन।

(j) बंधक रखी गई संपत्ति या उसका कोई भाग या अंश किसी प्राधिकारी द्वारा जब्त, कुर्क या हिरासत में लिया जाना या किसी कानूनी कार्यवाही का विषय बनना।

(k) उधारकर्ता को दिवालियापन नोटिस या समापन नोटिस दिया जाता है या एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है या उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति पर कुर्की लगाई जाती है, या;

(l) बंधक रखी गई संपत्ति या उसका कोई भाग या भाग जब्त कर लिया जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है या बंधक रखी गई संपत्ति से संबंधित दुर्घटना या अन्यथा किसी तीसरे पक्ष को शारीरिक चोट पहुंचती है, या

(m) बंधक रखी गई परिसंपत्तियां या उनका कोई भाग चोरी हो गया है या बैंक की दृष्टि में पूर्णतः नष्ट हो गया है।

(n) जब कभी बैंक के पूर्ण विवेक से यह संभावना हो कि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा और/या बंधक रखी गई परिसंपत्तियों या उनके किसी भाग को बैंक की प्रतिभूति और बकाया राशि को नष्ट करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(o) बैंक को सूचित किए जाने पर या ऐसी स्थिति में जब बैंक को यह जानकारी प्राप्त हो कि उधारकर्ता के प्रबंधन और/या संविधान में परिवर्तन हुआ है या उधारकर्ता के प्रबंधन और/या संविधान में परिवर्तन होने की संभावना है और बैंक की राय में ऐसा परिवर्तन उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

(p) ऐसी कोई अन्य परिस्थितियाँ विद्यमान होना जो बैंक की एकमात्र राय में उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों।

(q) उधारकर्ता द्वारा माल के परिवहन के लिए या कानून द्वारा अनुमत नहीं तरीके से बंधक परिसंपत्तियों का उपयोग करना।

(r) उधारकर्ता बैंक या उसके अधिकारियों, लेखा परीक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रबंधन सलाहकार, मूल्यांकनकर्ताओं या बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण या सत्यापन या मूल्यांकन के लिए बंधक परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(s) किसी भी कारण से उत्तर दिनांकित चेकों का भुगतान रोकने के लिए उधारकर्ता द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश, जिसमें भुगतान की ईसीएस या एसआई विधि के तहत निर्देशों को रद्द करने के निर्देश भी शामिल हैं।

(t) यदि बैंक की स्वीकृति के बिना इस समझौते के तहत प्रदान की गई परिसंपत्ति और/या अन्य प्रतिभूति को बेचा/हस्तांतरित/निपटाया, भारग्रस्त, भारग्रस्त, हस्तांतरित आदि किया जाता है; या इस बात की उचित आशंका है कि उधारकर्ता या गारंटर परिसंपत्ति या किसी अन्य प्रतिभूति को बेचने या हस्तांतरित करने आदि की संभावना रखते हैं।

(u) गारंटर द्वारा प्रदान की गई गारंटी में कोई दोष/दुर्बलता जो गारंटी को अप्रभावी/निष्क्रिय बना देती है।

5. चूक पर बैंक के अधिकार

यदि उधारकर्ता पूर्वोक्त अनुसार कोई चूक करता है, तो इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, बैंक अपने पूर्ण विवेक पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का हकदार होगा:

a) उधारकर्ता से उक्त ऋण सुविधाओं की बकाया राशि, साथ ही वर्तमान ब्याज और इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशि का तुरंत भुगतान करने का आह्वान किया जाता है।

b) **परिसंपत्तियों का पुनः कब्ज़ा**बंधक रखी गई संपत्तियों को जहां कहीं भी हो, वहां से अपने कब्जे में लेना और बंधक रखी गई संपत्तियों को सभी सहायक उपकरण, बॉडीवर्क और फिटिंग सहित हटाना तथा उक्त उद्देश्य के लिए बैंक या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों के लिए तुरंत या किसी भी समय और उधारकर्ता को नोटिस दिए बिना उस परिसर, या कारखाने, कार्यालय, गैरेज या गोदाम में प्रवेश करना वैध होगा जहां बंधक रखी गई संपत्तियां रखी गई हैं या रखी गई हैं और उन्हें अपने कब्जे में लेना या उन्हें पुनः प्राप्त करना या प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो, तो भंडारण के ऐसे स्थान को तोड़ना; बैंक को संपत्तियों को ले जाने के लिए टो-वैन का उपयोग करने का अधिकार होगा। बंधक रखी गई संपत्तियों को हटाने के कारण भूमि, भवन, कारखाने, गोदाम, कार्यालय, गैरेज या वहां रखे गए अन्य उपकरणों/संपत्तियों को होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उधारकर्ता की होगी। बंधक रखी गई संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए बैंक को संपत्ति से संबंधित किसी भी संचालन को रोकने के लिए अधिकृत किया जाएगा। बैंक इसके कारण उधारकर्ता को हुई किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

c) उधारकर्ता द्वारा जोखिम और लागत पर सभी आवश्यक कदम पूरी तरह से और प्रभावी रूप से उठाए जाएंगे, ताकि उधारकर्ता सभी मामलों में उक्त बंधक परिसंपत्तियों का निपटान कर सके और बैंक के लिए यह वैध होगा कि वह उधारकर्ता को तत्काल या उसके बाद किसी भी समय और बिना किसी सूचना के उस परिसर, कारखाने, कार्यालय, गैरेज या गोदाम में प्रवेश करे जहां बंधक परिसंपत्तियां पड़ी या रखी गई हों और उन्हें अपने कब्जे में ले या उन्हें प्राप्त करे या यदि आवश्यक हो, तो भंडारण के ऐसे स्थान को तोड़ दे और बैंक बैंक के किसी अधिकारी या

d) अधिकारियों या अपनी ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त बंधक परिसंपत्तियों या उनके किसी भाग या भागों के रिसीवर के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा। और ऐसे सभी काम पूरी तरह और प्रभावी ढंग से करने की शक्ति के साथ जैसा कि उधारकर्ता कर सकता है और/या सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा बेचने या अन्यथा किसी भी सहित उक्त बंधक परिसंपत्तियों का निपटान करने की शक्ति के साथ

किसी भी प्रकार से ऋणी के जोखिम और लागत पर उस पर सामग्री को रखने की शक्ति के साथ किसी भी बिक्री के अनुबंध को रद्द या बदलने की शक्ति के साथ किसी भी हानि या मूल्य में कमी के लिए बाध्य या उत्तरदायी नहीं होने और इसके द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं होने या ऐसी किसी भी शक्ति के प्रयोग से होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होने और खरीद राशि के लिए प्रभावी रसीदें और निर्वहन देने और बिक्री को पूरा करने के लिए ऐसे सभी अन्य कार्य और चीजें करने के लिए जिन्हें बैंक या रिसीवर उचित समझे। ऋणी बैंक द्वारा की गई किसी भी बिक्री या अन्य निपटान की नियमितता पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा और न ही बैंक किसी भी ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो किसी दलाल या नीलामकर्ता या बैंक या रिसीवर द्वारा बिक्री या निपटान के उद्देश्य से नियोजित किसी अन्य व्यक्ति या निकाय की ओर से किसी भी कार्य या चूक से उत्पन्न हो सकता है। बशर्ते कि उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत हो कि परिसंपत्तियों को पुनः बेचने में बैंक केवल उन्हीं व्यक्तियों को परिसंपत्तियों की पेशकश करने के लिए बाध्य होगा जिनका व्यवसाय पुनः बेची जाने वाली परिसंपत्ति के समान प्रकार और वर्णन की परिसंपत्तियों में लेन-देन करना है और यदि ऐसी परिसंपत्ति का कोई पुनः बिक्री मूल्य नहीं है, तो ऐसे डीलर से इस आशय का प्रमाण पत्र उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

d) बैंक को देय शेष राशि के पूर्ण भुगतान के बाद ऐसी बिक्री की शुद्ध आय में अधिशेष उपलब्ध होने की स्थिति में, बैंक के लिए यह वैध होगा कि वह उक्त अधिशेष को किसी भी धन या धन के साथ बनाए रखे और लागू करे जो उस समय उधारकर्ता से संबंधित हो, जो बैंक के हाथ में हो या किसी भी खाते में हो, जहां तक वह उन सभी धन के परिसमापन के लिए विस्तारित हो जो उधारकर्ता से या उसकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी/निदेशक/प्रवर्तक से बैंक को देय हो सकते हैं, चाहे अकेले या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म या कंपनी के साथ संयुक्त रूप से ऋण, छूट वाले बिल, ऋण पत्र, गारंटी, शुल्क, या किसी अन्य ऋण या देयता सहित बिल, नोट, क्रेडिट या अन्य दायित्व जो वर्तमान में देय और भुगतान योग्य नहीं हैं या अन्य कानूनी या न्यायसंगत मांगें जो बैंक के पास उधारकर्ता के खिलाफ हो सकती हैं या जो सेट ऑफ या पारस्परिक ऋण के कानून द्वारा किसी भी मामले में उस तिथि से ब्याज के साथ स्वीकार की जाएगी, जिस पर उसके संबंध में कोई या सभी अग्रिम(या अग्रिम) उस दर या संबंधित दरों पर दिए गए होंगे। वही इतना उन्नत हो गया है.

6. बैंक का विक्रय/सौंपने/प्रतिनियुक्ति करने का अधिकार:

6.1 यह सहमति हुई है कि ग्राहक परिचय, क्रेडिट रेटिंग और अन्य सभी कार्य/कदम/कर्तव्य जो बैंक के लिए उक्त ऋण सुविधाओं या उसके किसी भाग या हिस्से की निगरानी करने और/या बैंक को देय राशि या उसके किसी भाग या हिस्से को वसूलने के लिए आवश्यक हैं, ऐसे अन्य व्यक्ति, कंपनी, निकाय, संगठन या एजेंसी द्वारा किए जाएंगे/या किए जा सकते हैं, जिन्हें बैंक द्वारा समय-समय पर इसके संबंध में नियुक्त किया जा सकता है और यह कि बैंक हर समय ऐसे अन्य व्यक्ति/कंपनी/निकाय/संगठन या एजेंसी के साथ साझा करने का हकदार होगा, जिन्हें बैंक द्वारा समय-समय पर इसके संबंध में नियुक्त किया जा सकता है और यह कि बैंक हर समय ऐसे अन्य व्यक्ति, कंपनी, निकाय, संगठन या एजेंसी के साथ साझा करने का हकदार होगा, जिन्हें बैंक द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है, उधारकर्ता या उक्त ऋण सुविधाओं से संबंधित सभी दस्तावेज, खातों के विवरण और अन्य जानकारी।

6.2 बैंक ऋण को आंशिक या पूर्ण रूप से, अंतर्निहित सुरक्षा के साथ या उसके बिना, यदि कोई हो, सौंपने/बेचने/प्रतिभूत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके अधिकार, शीर्षक और हित को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करता है और ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है कि बैंक को ऋणकर्ता को संदर्भ देने या ऋणकर्ता की सहमति प्राप्त करने या ऋणकर्ता को इस तरह के असाइनमेंट / बिक्री / प्रतिभूतिकरण के बारे में सूचित करने या सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। ऋणकर्ता ऐसे किसी भी असाइनमेंट / बिक्री / प्रतिभूतिकरण / हस्तांतरण को स्वीकार करने और ऐसे अन्य क्रेता / असाइनी / हस्तांतरिती को विशेष रूप से ऋणदाता के रूप में या बैंक के साथ संयुक्त ऋणदाता के रूप में, या विशेष रूप से ऋणदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें बैंक को किसी भी ऐसे क्रेता / असाइनी / हस्तांतरिती की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने का अधिकार है। इस संबंध में कोई भी लागत, चाहे वह ऐसी बिक्री / असाइनमेंट या हस्तांतरण या अधिकारों के प्रवर्तन और बकाया राशि की वसूली के कारण हो, ऋणकर्ता के खाते में होगी।

7. संग्रह:

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि बैंक, स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को निष्पादित करने में किसी पूर्वाग्रह के बिना, पूर्ण रूप से हकदार होगा और उसके पास बैंक की पसंद के एक या अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने और ऐसे तृतीय पक्षों को बैंक की ओर से सभी अवैतनिक राशियों को एकत्र करने और उधारकर्ता के कार्यालय या निवास में उपस्थित होने, देय राशि प्राप्त करने और सामान्य रूप से सभी वैध कार्यों को निष्पादित करने सहित उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने का अधिकार और प्राधिकार हस्तांतरित या प्रत्यायोजित करने का पूर्ण अधिकार या प्राधिकार होगा, जिसे तृतीय पक्ष ऐसे प्रयोजनों के लिए उचित समझे।

8. बैंक का ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ सुरक्षित

इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक के पास बैंक के नियंत्रण में उधारकर्ता की सभी परिसंपत्तियों पर ग्रहणाधिकार होगा और बैंक से उधारकर्ता को देय सभी धनराशियों के विरुद्ध सेट ऑफ करने का अधिकार होगा और बैंक के बकाया की वसूली के लिए उधारकर्ता के सभी खातों को संयोजित करने का अधिकार होगा। बैंक इस शर्त पर इस लेन-देन में प्रवेश करने के लिए सहमत हुआ है कि उधारकर्ता जमा / खाते में पड़ी राशि के विरुद्ध बैंक के सेट ऑफ करने के अधिकार से सहमत है।
/ बैंक के बकाया की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध है।

9. ये प्रावधान उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के अन्य अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे:

a. ऋणकर्ता इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत है कि इसमें निहित कोई भी बात ऋणकर्ता के बैंक के प्रति किसी अन्य दायित्व के संबंध में बैंक के अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या किसी सामान्य या विशेष ग्रहणाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिसके लिए बैंक कानून या अन्यथा हकदार है या ऋणकर्ता के किसी ऐसे ऋण या देयता के लिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बैंक को दी गई किसी वर्तमान या भविष्य की सुरक्षा, गारंटी या दायित्व के संबंध में बैंक के अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

b. उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि बैंक द्वारा प्राप्त किसी अन्य अधिकार या ग्रहणाधिकार के अतिरिक्त तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक किसी भी समय तथा उधारकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना उधारकर्ता के सभी या किसी भी खाते (किसी भी सावधि जमा सहित) को बैंक के साथ संयोजित या समेकित करने का हकदार होगा।

   बैंक और उसमें सभी जमा और देनदारियों को जमा करना तथा किसी भी खाते या ऐसे अधिक खातों में जमा किसी भी राशि को सेट ऑफ या अंतरित करना या उधारकर्ता की किसी भी देनदारी की पूर्ति के लिए बैंक को भुगतान करना, चाहे ऐसी देनदारियां वास्तविक हों या आकस्मिक, प्राथमिक हों या संपार्श्विक और चाहे संयुक्त हों या कई।

10. ये उपहार सतत सुरक्षा प्रदान करेंगे

ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि यह अनुबंध और इसके द्वारा बनाई गई प्रतिभूति, उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में ऋणकर्ता के सभी दायित्वों/सुविधाओं के लिए एक सतत प्रतिभूति के रूप में कार्य करेगी, भले ही उक्त खाते में ऋण शेष हो या कोई आंशिक भुगतान या खातों में उतार-चढ़ाव हो।

11. हानि से सुरक्षा

ऋणकर्ता इसके द्वारा क्षतिपूर्ति करता है तथा समय-समय पर तथा इसके बाद भी हर समय बैंक को सभी दावों, लागतों, हानियों तथा व्ययों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत होता है, जो उक्त ऋण सुविधाओं तथा/अथवा बंधक परिसंपत्तियों तथा/अथवा इसमें दी गई शर्तों के संबंध में ऋणकर्ता की ओर से किसी कार्य या चूक के कारण बैंक को उठाना पड़ सकता है।

12. अदायगी

उधारकर्ता बैंक को इस समझौते की बातचीत, तैयारी, मुहर लगाने, निष्पादन, प्रशासन और प्रवर्तन में बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा और साथ ही किसी भी सुरक्षा दस्तावेज़ और/या इसके तहत बैंक के किसी भी अधिकार की भी प्रतिपूर्ति करेगा।

13. सूचना / संचार

a) बैंक द्वारा उधारकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस डाकघर/कूरियर को दिए जाने के तीन दिन बाद प्रभावी माना जाएगा और उधारकर्ता को विधिवत और पर्याप्त रूप से दिया गया माना जाएगा।
इस अनुबंध के अंत में दिए गए पते पर उधारकर्ता को उचित रूप से संबोधित किया जाएगा और यदि वितरित किया जाता है तो ऐसी डिलीवरी की तारीख तक विधिवत रूप से तामील कर दिया गया होगा।

b) बैंक के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र कि नोटिस पोस्ट किया गया है या तामील किया गया है, जैसा भी मामला हो, अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

c) जब तक बैंक द्वारा उधारकर्ता को लिखित रूप में अन्यथा सूचित नहीं किया जाता है, उधारकर्ता द्वारा बैंक को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस प्रभावी होगा तथा बैंक पर विधिवत् तथा पर्याप्त रूप से तब दिया गया माना जाएगा, जब वह यहां उल्लिखित शाखा के पते पर दिया जाएगा।

14. उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने वाले बैंक के खातों का विवरण

ऋणकर्ता इस बात पर सहमत है कि उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंक द्वारा ऋणकर्ता से देय दावा की गई किसी भी राशि की सत्यता के निर्णायक प्रमाण के रूप में बैंक की खाता बहियों से कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया तथा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित खाता विवरण को स्वीकार किया जाएगा, जिस पर कोई वाउचर, दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।

15. निष्पादन और स्टाम्प शुल्क

a) यह करार एकल रूप में निष्पादित किया जाएगा; इसकी मूल प्रति बैंक द्वारा रखी जाएगी तथा इसकी फोटोकॉपी ऋणी को दी जाएगी, जिसकी रसीद ऋणी स्वीकार करता है।

b) ऋणकर्ता को इस अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा तथा उस पर लगने वाले जुर्माने या अन्य शुल्क का भी वहन करना होगा।

16. छूट / सहनशीलता:

इस करार के किसी भी नियम व शर्त के निष्पादन पर जोर देने या इस करार में प्रदत्त किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने, या इस करार के किसी भी नियम व शर्त के उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी दंड की मांग करने के लिए बैंक की ओर से किसी प्रकार की छूट, सहनशीलता या विलंब को इस करार के किसी भी नियम या शर्त या अपने किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार या उधारकर्ता की ओर से किसी अन्य चूक के लिए बैंक की ओर से छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा और इस करार के तहत बैंक के सभी मूल अधिकार और शक्तियां, ऐसी किसी भी सहनशीलता या विलंब के बावजूद, पूर्ण रूप से लागू रहेंगी।

17. इस समझौते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

इसके अनुसूचियों को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा, जैसे कि इसके प्रावधान विस्तार में निर्धारित किए गए हों।

18. आंशिक अमान्यता

यदि किसी भी समय यह प्रावधान कानून के अंतर्गत अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो न तो इसके शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता और न ही अन्य प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या क्षतिग्रस्त होगी।

19. हाशिए पर नोट्स और शीर्ष नोट्स

यहां दिए गए हाशिए पर दिए गए नोट और शीर्ष नोट केवल सुविधा और संदर्भ के लिए हैं।

20. जानकारी साझा करना:

क. उधारकर्ता बैंक को समय-समय पर ऋण से संबंधित किसी भी जानकारी को बैंक की किसी भी मूल/सहायक सहयोगी/सहयोगी इकाई और बैंक द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष को सेवाओं और उत्पादों के विपणन जैसे उद्देश्यों के लिए प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है।

ख. उधारकर्ता यह समझता है कि मुझे/हमें ऋण/अग्रिम या अन्य निधि या गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करने से संबंधित पूर्व शर्त के रूप में बैंक को उसके/उसके/उनके द्वारा ली गई/ली जाने वाली ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी और डेटा तथा उसके निर्वहन में उसके/उसके/उनके द्वारा की गई किसी चूक के बारे में बैंक द्वारा प्रकटीकरण के लिए उसकी/उसकी/उनकी सहमति की आवश्यकता है।

c. तदनुसार, ऋणी इस बात से सहमत है और बैंक द्वारा ऐसी सभी या किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है।

a. उनसे संबंधित सूचना और डेटा
b. उसके द्वारा ली गई/ली जाने वाली किसी भी ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और
c. यदि उनके द्वारा कोई चूक की गई हो और उनके दायित्व का निर्वहन

d. जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को जानकारी का खुलासा और प्रस्तुत करना।

e. उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा बैंक को दी गई जानकारी और डेटा सत्य और सही हैं

f. उधारकर्ता यह वचन देता है कि

a. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त सूचना और डेटा का उपयोग, प्रक्रिया, इस प्रकार कर सकती है जैसा वे उचित समझें और
b. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उनके उत्पादों को बैंक/वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है, जिन्हें इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

21. शासीकानून।

यह समझौता भारत के कानून के अनुसार निर्मित और शासित होगा तथा इसमें कानूनों के टकराव के सिद्धांतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

22. मध्यस्थता करना

इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में पक्षों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाएगा। यदि पक्षों को ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने का स्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस तरह की मध्यस्थता की लागत हारने वाले पक्ष या पक्षों द्वारा या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित अनुसार वहन की जाएगी। यदि किसी पक्ष को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसे सभी उचित लागत और व्यय और वकील की फीस का भुगतान करना होगा, जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाले पक्ष द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त मुकदमे या मध्यस्थता की लागत शामिल है।

23. क्षेत्राधिकार

दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न और/या इससे संबंधित सभी विवाद, जिसमें कोई भी संपार्श्विक दस्तावेज शामिल है, उस शहर के सक्षम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जहां बैंक का ऋण कार्यालय स्थित है।

24. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर की मृत्यु के मामले में, स्वीकृति पत्र के अनुसार ऋण संरचना में जीवित पक्ष और मृतक के परिवार के सदस्य मृत्यु के 15 दिनों के भीतर बैंक को सूचित करने और ऋण समझौते में कानूनी उत्तराधिकारियों/अन्य गारंटर के नाम जुड़वाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा न करने पर उन्हें इस ऋण की वसूली से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

25. "एसएमए / एनपीए वर्गीकरण

उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

एसएमए / एनपीए श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए-0	30 दिन तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए -2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक
एनपीए	90 दिन से अधिक

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 दिसंबर है अनुसूचित जनजाति मार्च तक की अवधि के लिए बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती है, तथा इस तिथि से पूर्व पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च होगी। अनुसूचित जनजाति मार्च। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 मार्च को एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा। वां अप्रैल, यानी लगातार 30 दिन की अतिदेयता पूरी होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 होगी। वां इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 अप्रैल को एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा। वां मई तक ऋण की अवधि समाप्त हो जाएगी और यदि आगे भी यह बकाया बना रहता है तो इसे 29 मई तक एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। वां जून।"

26. स्वीकार

मैंने/हमने सम्पूर्ण अनुबंध पढ़ लिया है/समझा लिया गया है तथा उसे मेरी/हमारी उपस्थिति में भर दिया गया है।

मैं/हम जानते हैं कि बैंक मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इस समझौते का पक्ष बनने के लिए सहमत होगा।

पक्षकारों ने इन प्रस्तुतियों को स्थान तथा दिन, माह और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो इसके बाद निर्धारित किए गए हैं।

प्रथम भाग का पक्ष: उधारकर्ता

1.	नाम _____ पता _____ _____	_____ उधारकर्ता के हस्ताक्षर
2.	नाम _____ पता _____ _____	_____ उधारकर्ता के हस्ताक्षर
3.	नाम _____ पता _____ _____ **दूसरे पक्ष का पक्ष: बैंक**	_____ उधारकर्ता के हस्ताक्षर
	नाम _____ _____ पता/पंजीकृत/कार्यालय _____ _____	_____ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूची I और II ऋण सह दृष्टिबंधक अनुबंध से जुड़ी है तथा उसका हिस्सा है, जिसमें विवरण दिया गया है
देय राशि का
अनुसूची – I
ऋण सुविधाओं का विवरण

ऋण का रुपये _____(रुपये) (_____ _____) निर्देशों के अनुसार निर्माता/डीलर/विक्रेता के पक्ष में वितरित किया जाएगा।

उधारकर्ता की, अनुसूची III में उल्लिखित () मासिक किस्तों में चुकाने योग्य, अनुसूची - II में उल्लिखित परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित

अनुसूची – II
बंधक परिसंपत्ति का विवरण

क्र. सं.	संपत्ति	पंजीकरण संख्या।	इंजन नं.	चेसिस नं.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

अनुसूची III ऋण सह का हिस्सा है और उससे जुड़ी है
विवरण का वर्णन करने वाला दृष्टिबंधक समझौता
देय राशि का.

1. स्वीकृत ऋण राशि : _____
2. निश्चित ब्याज दर : _____ बकाया राशि पर मासिक आधार पर % प्रति वर्ष की गणना की जाएगी संतुलन

या

: ईबीएलआर [%] + क्रेडिट जोखिम प्रीमियम [%]

फ्लोटिंग ब्याज दर (एफआईआर)

उधारकर्ता ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है [%] बाहरी बेंचमार्क आधारित क्रेडिट जोखिम प्रीमियम के रूप में उधार दर (ईबीएलआर), वर्तमान में है। [%], (इसके बाद इसे "बेंचमार्क दर" कहा जाएगा) अर्थात [%] प्रति वर्ष मासिक अवकाश के साथ।

3. वार्षिक सेवा / प्रसंस्करण शुल्क :
4. पूर्व भुगतान शुल्क : स्वीकृति पत्र और बैंक के शुल्क अनुसूची के अनुसार
5. अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज : स्वीकृति पत्र और बैंक के शुल्क अनुसूची के अनुसार
6. बंधक परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य :
7. चेक अनादर के लिए फ्लैट शुल्क : स्वीकृति पत्र और बैंक के शुल्क अनुसूची के अनुसार
8. कुल देय राशि :

समान मासिक किस्त अनुसूची (ईएमआई)

EMI की देय तिथि/माह	ईएमआई राशि	कुल ईएमआई/अवधि

अनुसूची IV

घोषणा

मैं/हम सहमत हैं, घोषणा करते हैं, वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची, उनके पूर्ण नाम और पते के साथ, जैसा कि नीचे दिया गया है, बैंक को मेरे या हममें से किसी के निधन की स्थिति में/बैंक द्वारा मुझे/हमें दी गई ऐसी ऋण सुविधाओं के लंबित रहने के दौरान उनमें से किसी से भी अपने बकाये की वसूली के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए है।

नाम की उधार लेने वाला	नाम कानूनी वारिसों	उसकी उम्र	के साथ संबंध उधार लेने वाला/ the गारंटर	पतों

मैं/हम नीचे अपनी चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण भी दे रहे हैं, जो मुझे/हमें दी गई वित्तीय सहायता के लिए बैंक को प्रतिभूति के रूप में नहीं दी गई हैं।

विवरण	विवरण का चल/ अचल गुण साथ भरा हुआ पता (कहाँ स्थित है)	किसके नाम पर the संपत्ति खड़ा	उपस्थित भार	चाहे पट्टे पर दिया /स्वामित्व/ पूर्ण अधिकार	वर्तमान बाजार मूल्य
			अभारग्रस्त	निरपेक्ष अधिकार	

			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			पूर्ण अधिकार		

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर लिखे दिन, माह और वर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं।

उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.

गारंटी का समझौता

यह गारंटी समझौता (यह "समझौता") यहां किया गया है _____ इस पर (स्थान) _____ दिन का_____ 20____ _.

बीच में

1. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
2. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
3. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
4. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
5. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
6. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
7. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
8. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
9. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
10. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
11. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
12. श्री/सुश्री _____ श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी _____

(इसके बाद "गारंटर" कहा जाएगा, जिस शब्द का अर्थ, जहां भी संदर्भ अनुमति देता है, उसके/उसके/उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, उत्तराधिकारी और अनुमत असाइन शामिल होंगे) पहले भाग का

या

एमएस

कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां पर है

_____

(श्री/सुश्री के माध्यम से) _____, _____ (पदनाम), जैसा कि इसके बोर्ड संकल्प दिनांक 14.04.2013 द्वारा अधिकृत किया गया है _____)

(इसके बाद "गारंटर" कहा जाएगा, जिस शब्द का अर्थ, जहां भी संदर्भ अनुमति देता है, उसके/उसके/उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे) पहले पक्ष का;

या

_____

_____

_____

_____

(इसके बाद "गारंटर" कहा जाएगा, जिस शब्द का अर्थ, जहां भी संदर्भ अनुमति देता है, उसके/उसके/उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे) पहले पक्ष का;

और

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (भारतीय) कंपनी अधिनियम, 2013 (CIN: U65900DL2020PLC366027) के तहत निगमित कंपनी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में बैंकिंग कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सालकॉन ऑरम जसोला जिला में है।

केंद्र, नया दिल्ली 110025, भारत और, इंटर आलिया, ए शाखा कार्यालय पर _____ _____(इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा, जहां तक संदर्भ अनुमति देता है, इस शब्द का अर्थ इसके उत्तराधिकारी होंगे और इसमें शामिल होंगे) दूसरे भाग के (और असाइन)

जबकि

एक। गारंटर(यों) के अनुरोध पर बैंक ने सुविधा प्रदान करने/जारी रखने/बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। _____ के रास्ते (द "सुविधाएँ"/"सीमाएँ") को श्री श्रीमती सुश्री _____ _____

(जिसे आगे "उधारकर्ता" कहा जाएगा) उधारकर्ता द्वारा निष्पादित ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों पर; और

B. गारंटर ने उस राशि के भुगतान की गारंटी देने पर सहमति व्यक्त की है जो किसी भी समय बैंक को देय हो सकती है। उक्त सुविधाओं/सीमाओं का रु. _____(रुपये) _____ _____)

अब यह समझौता निम्नलिखित का साक्षी है:

1. यह कि बैंक द्वारा उधारकर्ता(ओं) के अनुरोध पर रु. 1,00,000 की सहायता की अनुमति देने/जारी रखने/बढ़ाने के विचार में। _____(शब्दों में _____- _____ _____ _____ (सुविधाएँ/सीमाएँ) उधारकर्ता को उसके शाखा कार्यालय में उपलब्ध कराई जाती हैं_____पर दिनांक 15.03.2018 को उधारकर्ता द्वारा निष्पादित ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों में निहित नियम और शर्तें। _____,द गारंटर बैंक के साथ निम्नानुसार सहमत हैं:-

2. गारंटर संयुक्त रूप से और अलग-अलग गारंटी देते हैं कि वे लिखित में मांग करने के बाद बैंक को देय सभी मूलधन, ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय का भुगतान करेंगे और जो किसी भी समय उधारकर्ता से उक्त सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में खोले गए खातों (जिसे इसके बाद "उक्त खाते" कहा जाएगा) में भुगतान की तारीख तक बैंक को देय हो सकते हैं और साथ ही सभी नुकसान या क्षति, लागत, शुल्क और व्यय और कानूनी लागतों के मामले में, वकील और ग्राहक के बीच बैंक को उधारकर्ता या गारंटर या उनमें से किसी के द्वारा ऐसे भुगतान में चूक, विफलता या अस्थायी या अन्यथा चूक के कारण हुई लागत (जैसा कि पूर्वोक्त है) सहित, भुगतान के प्रवर्तन या प्रवर्तन के प्रयास की लागत (जैसा कि पूर्वोक्त है) मुकदमे या अन्यथा या बिक्री या वसूली या उक्त ऋणग्रस्तता के लिए किसी भी सुरक्षा की बिक्री या वसूली या वसूली या प्रयास का भुगतान या अन्यथा किसी भी तरह से या कोई भी लागत (जो लागत पूर्वोक्त है) शुल्क या व्यय जो बैंक किसी भी कार्यवाही में शामिल होने से उठा सकता है जिसमें बैंक बनाया जा सकता है या खुद को पक्ष बना सकता है ऐसी किसी भी प्रतिभूति या उससे प्राप्त किसी भी आय के संबंध में अन्य लोगों के साथ कोई समझौता।

3. गारंटर इस बात की घोषणा करते हैं कि यह गारंटी एक जारी रहने वाली गारंटी होगी और उक्त प्रत्येक सीमा के संबंध में अलग-अलग प्रभावी रहेगी तथा बैंक के विवेकानुसार इसे लागू किया जा सकता है, जैसे कि प्रत्येक सुविधा/सीमा की उसके/उनके द्वारा अलग से गारंटी दी गई हो। इस गारंटी को इस तथ्य से रद्द या किसी भी तरह से प्रभावित नहीं माना जाएगा कि किसी भी समय या समय-समय पर उक्त खातों में से कोई भी उधारकर्ता के खिलाफ कोई देयता नहीं दिखाता है या यहां तक कि उसके/उसके/उनके पक्ष में क्रेडिट भी दिखाता है, लेकिन खाते बंद होने तक सभी बाद के लेनदेन के संबंध में जारी रहेगा और चालू रहेगा। यह गारंटी इसके अतिरिक्त है, और इससे प्रभावित नहीं होगी, न ही इसमें विलय होगी, और बैंक द्वारा वर्तमान या बाद में धारित किसी अन्य गारंटी, उपक्रम या सुरक्षा हित के अस्तित्व, अमान्यता या अप्रवर्तनीयता के बावजूद इसे लागू किया जा सकता है। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह गारंटी सुविधाओं/सीमाओं के अंतर्गत ऋणी(ओं) द्वारा देय सभी राशियों के अंतिम शेष तक विस्तारित होगी, जब तक कि इसे इसके नियमों के अनुसार जारी नहीं किया जाता है, चाहे ऋणी द्वारा देय ऋण के पूरे या किसी हिस्से के किसी भी मध्यवर्ती भुगतान या निर्वहन की परवाह किए बिना।

4. प्रतिनिधित्व और वारंटी

(a) गारंटर इस अनुबंध की अनुसूची। (गारंटर के अभ्यावेदन और वारंटियाँ) में निर्धारित अनुसार बैंक के समक्ष अभ्यावेदन और वारंटियाँ देते हैं।

उपरोक्त धारा 4(ए) में वर्णित प्रत्येक अभ्यावेदन और वारंटी, अनुसूची। (गारंटर के अभ्यावेदन और वारंटी) के साथ पढ़ने पर, इस तिथि को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में गारंटर द्वारा किया गया माना जाएगा।

समझौते के अनुसार, यह प्रक्रिया प्रत्येक दिन तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि ऋणी द्वारा सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में निष्पादित ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों के अंतर्गत सभी बकाया राशि ऋणी द्वारा बैंक को विधिवत चुका नहीं दी जाती।

5. अनुबंध और वचनबद्धता

गारंटर इस अनुबंध की अनुसूची II (गारंटर की वाचाएं और वचन) के भाग ए (सामान्य वाचाएं) और भाग बी (सूचना वाचाएं) में निर्धारित वाचाओं और वचनों का हर समय पालन करने के लिए सहमत हैं और वचनबद्ध हैं, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा निष्पादित सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों के तहत सभी बकाया राशि उधारकर्ता द्वारा बैंक को विधिवत चुका नहीं दी जाती है।

6. गारंटर इस बात पर सहमति देते हैं कि बैंक बिना किसी संदर्भ या सूचना के अनुबंध की शर्तों में कोई भी बदलाव कर सकता है, जिसमें उधारकर्ता के खातों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर में कोई भी बदलाव शामिल है। गारंटर इस बात पर भी सहमति देते हैं कि बैंक किसी भी तरह की अतिरिक्त संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार करे, उधारकर्ता को कोई भी ऋण निर्धारित करे, बढ़ाए या बदले या उसके साथ कोई समझौता करे या उसे समय देने या उस पर मुकदमा न करने का वादा करे और बैंक गारंटीकृत ऋण के लिए अपने पास रखी किसी भी सुरक्षा को छोड़ दे। गारंटर इस बात पर भी सहमत होते हैं कि बैंक द्वारा ऋणी को मुक्त करने या बैंक की किसी कार्रवाई या चूक के कारण, जिसके कानूनी परिणामों से ऋणी मुक्त हो सकता है या बैंक के किसी ऐसे कार्य के कारण, जो इस वर्तमान प्रावधान के अभाव में, गारंटर के रूप में उसके अधिकारों के साथ असंगत होता है या बैंक द्वारा किसी ऐसे कार्य को करने में चूक के कारण, जो इस वर्तमान प्रावधान के अभाव में, गारंटर के प्रति बैंक के कर्तव्य के अनुसार बैंक को करना पड़ता, वे अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे। यद्यपि उधारकर्ता और गारंटर के बीच वह केवल गारंटर है, गारंटर इस बात से सहमत है कि बैंक और गारंटर के बीच वह उधारकर्ता के साथ संयुक्त रूप से देनदार है और तदनुसार वह अनुबंध की शर्तों में किसी भी परिवर्तन के कानूनी परिणामों के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 133, 134, 135, 139 और 141 द्वारा गारंटर को प्रदान किए गए किसी भी अधिकार के लिए हकदार नहीं होगा। गारंटर इस बात से भी सहमत है कि बैंक द्वारा किसी भी अनियमित भुगतान या सहमत किस्त की राशि से कम राशि की स्वीकृति, चाहे उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों से पहले या उसके बाद की गई हो, गारंटर को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और ऐसी स्वीकृति किसी नए या ताजा अनुबंध के बराबर नहीं होगी या उसका निर्माण नहीं करेगी। गारंटर इस बात पर भी सहमत होते हैं कि बैंक किसी भी समय या समय-समय पर उधारकर्ता द्वारा की गई किसी भी चूक के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

7. गारंटर को कानूनी उत्तराधिकारियों और उन संपत्तियों का ब्यौरा घोषित करना होगा, जो अनुसूची III में निर्धारित वित्तीय सहायता के लिए बैंक को सुरक्षा के रूप में नहीं दी गई हैं।

8. गारंटर बैंक को समय-समय पर 5 लाख रुपये की सुविधा/सीमा का नवीकरण करने की सहमति देते हैं।

उधारकर्ता को अनुमति दी गई, प्राप्त करना

उनसे नए दस्तावेज प्राप्त करना, मौजूदा खाते बंद करना, नए खाते खोलना, या उन्हें या उनके हिस्से को स्थानांतरित करना
बैंक की किसी भी शाखा में। इसके बावजूद, गारंटर सहमत हैं और घोषणा करते हैं कि वे इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे
नवीनीकृत सुविधाओं/सीमाओं और इस समझौते के नियमों और शर्तों के तहत उधारकर्ता के किसी भी ऋण के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
नवीनीकृत सुविधाओं/सीमाओं के अंतर्गत उनका/उनकी देयता लागू होगी और नियंत्रित होगी।

9. गारंटर यह भी घोषणा करते हैं कि गारंटर या उनके या उनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति से बैंक द्वारा प्राप्त सभी लाभांश, संयोजन या भुगतान को सकल भुगतान के रूप में लिया जाएगा और लागू किया जाएगा तथा गारंटर और उनके प्रतिनिधियों को ऐसे किसी भी लाभांश, संयोजन या भुगतान का लाभ लेने का तब तक कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऋणी और उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध बैंक के सभी दावों की पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, जो इस अनुबंध के अंतर्गत आते हैं।

10. कोई भी अग्रिम, ओवरड्राफ्ट या अन्य ऋण सुविधा जो बैंक ऋणी को पैरा-1 में उल्लिखित सीमाओं से परे दे सकता है या ऋणी से कोई अन्य गारंटी या सुरक्षा प्राप्त करना, इसके तहत गारंटर(ओं) की देयता को निर्धारित, प्रतिकूल या कम नहीं करेगा।

11. गारंटर इस बात पर भी सहमत होते हैं कि बैंक और उधारकर्ता के बीच निपटाए गए किसी भी खाते, या उनके या उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा बैंक को उक्त खातों पर देय के रूप में स्वीकार या पुष्टि की गई शेष राशि निर्णायक होगी और गारंटर द्वारा उस पर विवाद या प्रश्न नहीं किया जाएगा।

12. गारंटर प्रत्येक उधारकर्ता या उनके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को एजेंट के रूप में नियुक्त करता है ताकि वह बकाया राशि की पुष्टि कर सके और समय-समय पर गारंटर के रूप में उसकी/उसकी/उनकी ओर से देयता स्वीकार कर सके। गारंटर इस बात पर भी सहमत होते हैं कि उधारकर्ता या खातों को संचालित करने के लिए उनके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति या गारंटर की ओर से एजेंट के रूप में किसी सह-गारंटर द्वारा की गई देयता की कोई भी स्वीकृति, सीमा की नई शुरुआत देने और उनके खिलाफ देयता स्वीकार करने के लिए उनके लिए बाध्यकारी होगी।

13. पार डिफ़ॉल्ट

(a) ऋणकर्ता द्वारा सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में निष्पादित ऋण दस्तावेजों और सुरक्षा दस्तावेजों में उल्लिखित चूक की घटनाओं (चाहे किसी भी प्रकार से वर्णित हो) के अतिरिक्त, निम्नलिखित भी सुविधाओं/सीमाओं के अंतर्गत चूक की घटना मानी जाएगी:

(i) गारंटर के किसी भी वित्तीय ऋण का भुगतान न तो देय तिथि पर किया जाता है और न ही मूल रूप से लागू किसी रियायत अवधि के भीतर किया जाता है।

(ii) गारंटर का कोई भी वित्तीय ऋण किसी भी वास्तविक या संभावित चूक, चूक की घटना, या किसी भी समान घटना (जैसा भी वर्णित हो) के परिणामस्वरूप किसी भी मूल रूप से लागू अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद उसकी निर्दिष्ट परिपक्वता से पहले देय या अन्यथा देय हो जाता है।

(iii) किसी भी मूल रूप से लागू अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी वास्तविक या संभावित चूक, चूक की घटना, या किसी भी समान घटना (जैसा भी वर्णित हो) के परिणामस्वरूप गारंटर की किसी भी वित्तीय ऋणग्रस्तता के लिए कोई भी प्रतिबद्धता रद्द या निलंबित हो जाती है।

(iv) गारंटर का कोई भी ऋणदाता किसी भी वास्तविक या संभावित चूक, चूक की घटना, या किसी भी समान घटना (जैसा भी वर्णित हो) के परिणामस्वरूप किसी भी मूल रूप से लागू अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद गारंटर के किसी भी वित्तीय ऋण को उसकी निर्दिष्ट परिपक्वता से पहले देय और भुगतान योग्य घोषित करने का हकदार हो जाता है।

(v) गारंटर की किसी भी परिसंपत्ति पर कोई भी सुरक्षा उस सुरक्षा के धारक द्वारा लागू की जाती है, या किसी भी अधिकार क्षेत्र में कोई अनुरूप प्रक्रिया या कदम उठाया जाता है।

(vi) चूक की घटना या चूक की संभावित घटना (चाहे उसे किसी भी प्रकार से वर्णित किया गया हो) या अन्य समान स्थिति या घटना जो समय बीत जाने या नोटिस दिए जाने के साथ किसी व्यक्ति द्वारा गारंटर को दिए गए किसी ऋण से संबंधित एक या अधिक समझौतों या उपकरणों के तहत चूक की घटना बन सकती है।

(vii) उपरोक्त खंड 12(ए) में वर्णित प्रत्येक घटना, उधारकर्ता द्वारा सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में निष्पादित प्रत्येक ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों के तहत चूक की घटना (चाहे किसी भी रूप में वर्णित हो) मानी जाएगी।

14. यदि बैंक ऋण खातों में रखी गई बंधक, गिरवी या बंधक प्रतिभूतियाँ बेचता है, तो गारंटर इस बात से सहमत हैं कि बैंक गारंटर को ऐसी बिक्री की कोई सूचना दिए बिना उक्त प्रतिभूतियों को बेच सकता है। गारंटर इस बात से सहमत हैं कि वे किसी भी तरीके से या किसी भी आधार पर बिक्री या बिक्री मूल्य पर सवाल नहीं उठाएंगे।

15. यदि ऋणी द्वारा गारंटर द्वारा गारंटीकृत राशि बैंक को चुका दी जाती है और परिणामस्वरूप बैंक गारंटर को इस करार के अंतर्गत सभी देयताओं से मुक्त कर देता है, लेकिन बाद में न्यायालय या अन्य किसी माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि उक्त भुगतान एक कपटपूर्ण वरीयता थी और बैंक को उक्त राशि वापस करनी पड़ती है, तो इस करार के आधार पर गारंटर की बैंक के प्रति देयता उसी सीमा तक और उसी तरीके से पुनर्जीवित हो जाएगी, जैसे कि ऐसा भुगतान कभी किया ही न गया हो।

16. गारंटीकर्ता इस बात पर भी सहमत होते हैं कि बैंक अपने पास ग्रहणाधिकार, बंधक, गिरवी या बंधक के तहत रखी गई किसी भी प्रतिभूति को लागू किए बिना, बेचे बिना या वसूले बिना गारंटी को लागू कर सकता है, भले ही उधारकर्ता द्वारा उक्त खातों में दिए गए कोई भी बिल या अन्य उपकरण वसूली और बकाया के लिए प्रचलन में हों।

17. इस प्रकार दी गई गारंटी गारंटर द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकेगी या उसे संतुष्ट नहीं माना जा सकेगा, सिवाय इसके कि वह अपनी गारंटी की सीमा तक किसी भी बकाया देनदारियों या दायित्वों के लिए पूर्ण भुगतान कर दे। गारंटी उसकी मृत्यु या पागलपन से तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक कि बैंक को लिखित में औपचारिक प्रामाणिक सूचना प्राप्त न हो जाए।

18. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर की मृत्यु के मामले में, स्वीकृति पत्र के अनुसार ऋण संरचना में जीवित पक्ष और मृतक के परिवार के सदस्य मृत्यु के 15 दिनों के भीतर बैंक को सूचित करने और ऋण समझौते में कानूनी उत्तराधिकारियों/अन्य गारंटर के नाम जुड़वाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा न करने पर उन्हें इस ऋण की वसूली से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

19. यदि गारंटर ने इस करार के अंतर्गत ऋणी से उसके/उसके/उनके दायित्व के संबंध में कोई प्रतिभूति ली है या भविष्य में लेगा, तो गारंटर बैंक के प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए ऋणी के परिसमापन में कोई सबूत नहीं देगा और ऐसी प्रतिभूति प्रतिभूति के रूप में मानी जाएगी तथा उसे तत्काल बैंक के पास जमा कर दिया जाएगा।

20. सेट ऑफ - ऊपर बताई गई बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, गारंटर इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत और पुष्टि करता है कि ऋणी द्वारा ऋण या किसी अन्य ऋण/सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, किसी सामान्य या समान ग्रहणाधिकार के अतिरिक्त, जिसका बैंक या उसकी कोई सहायक/संबद्ध संस्था कानून द्वारा हकदार हो सकती है, बैंक, गारंटर के साथ किसी अन्य समझौते के अंतर्गत अपने किसी विशिष्ट अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकानुसार और गारंटर को सूचना दिए बिना, किसी अन्य धन या राशि को ऋणकर्ता पर लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा।किसी भी खाते में उधारकर्ता के क्रेडिट में जमा राशि जिसमें गारंटी विस्तारित की गई है

(जमा, ऋण, एलआईसी, एनएससी, डीमैट सुरक्षा सहित) उधारकर्ता (चाहे अकेले या किसी अन्य या अन्य के साथ संयुक्त रूप से) के बैंक या उसकी किसी सहायक/सहबद्ध संस्था के साथ बकाया राशि के भुगतान के लिए या उसके लिए। इस समझौते के तहत बैंक के अधिकार अन्य अधिकारों और उपायों (सीमा के बिना अन्य अधिकार या सेट ऑफ सहित) के अतिरिक्त हैं जो बैंक के पास हो सकते हैं।

यदि गारंटर सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य किसी कारण से नियोक्ता की सेवा में नहीं रहता है, तो बैंक के लिए यह वैध होगा कि वह गारंटर के नियोक्ता से मांग करे कि वह इन ऋणों के अंतर्गत आने वाले ऋण बकाया के परिसमापन के लिए वेतन/बोनस/ग्रेच्युटी/भविष्य निधि या अन्य सेवांत लाभ या नियोक्ता द्वारा गारंटर को देय कोई अन्य धनराशि बैंक को उपलब्ध कराए।

21. उधारकर्ता की ओर से उधार लेने की शक्तियों में अनुपस्थिति या दुर्बलता या उसके प्रयोग में किसी भी तरह की अनियमितता गारंटर(ओं) की देयता को प्रभावित नहीं करेगी और उधारकर्ता को दी गई कोई भी अग्रिम राशि ऐसी अनुपस्थिति, दुर्बलता या अनियमितता के बावजूद देय मानी जाएगी और यह अनुबंध उधारकर्ता के नाम या संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। यह भी स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि यह अनुबंध गारंटर(ओं) के विरुद्ध लागू रहेगा, भले ही उधारकर्ता और बैंक के बीच अनुबंध वैध हो या नहीं।

कानून में लागू करने योग्य है या नहीं। यह भी स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि यदि गारंटर द्वारा दी गई गारंटी किसी भी कारण से लागू नहीं की जा सकती है या कानून में लागू नहीं हो सकती है, तो इस तहत दी गई गारंटी गारंटर के खिलाफ क्षतिपूर्ति के रूप में लागू की जाएगी और वह सहमत हैं और बैंक को किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और अन्य शुल्कों के लिए क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति करने का वचन देते हैं, जिन्हें बैंक को उधारकर्ता से उसके ऋण खातों में वसूलना और वसूलना पड़ सकता है।

22. इस करार के अंतर्गत बैंक द्वारा लिखित में दी गई कोई सूचना या लिखित मांग, गारंटर को विधिवत् दी गई मानी जाएगी, यदि वह उसे डाक द्वारा उसके पते पर भेज दिया जाए, तथा निवास में किसी परिवर्तन या मृत्यु के बावजूद और बैंक को इसकी सूचना दिए जाने के बावजूद भी प्रभावी मानी जाएगी तथा ऐसी मांग, गारंटर को पोस्ट किए जाने के 24 घंटे बाद प्राप्त हुई मानी जाएगी तथा यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगी कि मांग वाला पत्र उचित रूप से संबोधित करके पोस्ट किया गया था।

23. गारंटर इस बात से सहमत हैं कि बैंक की खाता बही में ऋणी के खाते की एक प्रतिलिपि, जिस पर उस कार्यालय के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, जहां ऐसे खाते रखे जाएंगे या बैंक का कोई अधिकारी होगा, जो इस समझौते के तहत उसके खिलाफ लाए गए किसी भी खाते या अन्य कार्यवाही में ऋणी से बैंक को देय राशि के लिए उसके खिलाफ निर्णायक सबूत होगा।

24. यदि बैंक द्वारा किसी भुगतान के भरोसे सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में कोई भुगतान किया जाता है, या कोई निर्वहन या व्यवस्था पूर्णतः या आंशिक रूप से की जाती है, जिसे किसी भी कारण से टाला जाता है, अलग रखा जाता है या कम किया जाता है, जिसमें बिना सीमा के दिवालियापन, दिवालियापन समाधान, दिवालियापन या परिसमापन, प्रत्ययी या वैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन शामिल है, तो प्रत्येक गारंटर का दायित्व इस समझौते के तहत जारी रहेगा और बैंक बाद में गारंटी को लागू करने और ऋण के मूल्य को वसूलने का हकदार होगा, जैसे कि भुगतान, निर्वहन व्यवस्था, परिहार या कमी नहीं हुई थी।

25. देयता अप्रभावित

इस अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक गारंटर का दायित्व किसी भी कार्य, चूक या परिस्थिति (चाहे ऐसे गारंटर को ज्ञात हो या न हो) के कारण समाप्त, कम या अन्यथा प्रभावित नहीं होगा, जो इस प्रावधान के बिना, उसे किसी भी सीमा तक समाप्त कर सकता है, जिसमें शामिल हैं:

(a) उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के संविधान, स्वामित्व या कॉर्पोरेट अस्तित्व या किसी अधिग्रहण, विलय या समामेलन में कोई परिवर्तन;

(b) उधारकर्ता या किसी गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति (जैसा लागू हो) के संबंध में समापन, दिवालियापन, परिसमापन, दिवालियापन, दिवालियापन समाधान, परिसमापन, दिवालियापन या इसी तरह की स्थिति या कार्यवाही;

(c) लागू कानून के अनुसार, ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के प्रबंधन में कोई परिवर्तन या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के प्रबंधन का अधिग्रहण या किसी व्यक्ति या उसके किसी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण;

(d) किसी भी उपकरण के संबंध में किसी भी औपचारिकता या अन्य आवश्यकता का प्रस्तुतीकरण न करना या उसका पालन न करना या किसी भी सुरक्षा, गारंटी या उपक्रम का पूर्ण मूल्य वसूल करने में विफलता;

(e) किसी अन्य लेनदेन दस्तावेज़ या उसके किसी प्रावधान की पूर्ण या आंशिक अमान्यता या अप्रवर्तनीयता या सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में किसी लेनदेन दस्तावेज़ के तहत उधारकर्ता या किसी गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति का कोई दायित्व;

(f) बैंक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से या उसके विरुद्ध कोई सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, वचन या गारंटी लेने, उसे पूर्ण करने या लागू करने में कोई कार्य या चूक या किसी सुरक्षा हित का पूर्ण मूल्य वसूल करने में कोई विफलता;

(g) ऋण के सम्पूर्ण या किसी भाग का कोई मध्यवर्ती भुगतान या निर्वहन।

(h) सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में लेन-देन दस्तावेज़ के अंतर्गत उधारकर्ता, किसी गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति को कोई समय या अन्य छूट, व्यवस्था, समझौता, छूट, उन्मुक्ति, रिहाई या परिवर्तन प्रदान करना।

(i) सुविधाओं/सीमाओं या किसी अन्य दस्तावेज या सुरक्षा के संबंध में किसी भी लेनदेन दस्तावेज के तहत किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व की कोई अक्षमता या शक्ति की कमी (या ऐसी शक्तियों के प्रयोग में कोई अनियमितता), अधिकार, अप्रवर्तनीयता, अवैधता या अमान्यता।

(j) सुविधाओं/सीमाओं या किसी अन्य दस्तावेज़ के संबंध में लेनदेन दस्तावेज़ में कोई भी संशोधन (चाहे वह कितना भी मौलिक क्यों न हो) या सुरक्षा, गारंटी या वचनबद्धता।

(k) किसी भी व्यक्ति द्वारा सुविधाओं/सीमाओं से संबंधित किसी भी दस्तावेज में बैंक के साथ पक्ष बनना या न रहना या प्रत्येक मामले में सुविधाओं/सीमाओं से संबंधित किसी भी दस्तावेज में बैंक के स्थान पर पक्ष बनना, सुविधाओं/सीमाओं से संबंधित ऐसे दस्तावेज द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त असाइनमेंट, प्रभार, नवीकरण या अन्य उत्तराधिकार या अलगाव के अधिकारों के अनुसरण में; या

(l) ऋणी, किसी गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति और बैंक के बीच कोई विवाद जो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य समान फोरम में लंबित हो।

26. गारंटर के अधिकारों का त्याग

(a) जब तक उधारकर्ता द्वारा सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या जब तक बैंक अन्यथा निर्देश नहीं देता है, तब तक कोई भी गारंटर इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के कारण:

(i) उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिस्थापन, अंशदान, क्षतिपूर्ति, सेट-ऑफ या प्रतिदावे या किसी समान अधिकार का प्रयोग करना; या
(ii) सुविधाओं/सीमाओं के संबंध में बैंक के पक्ष में किसी अन्य गारंटी या सुरक्षा में भाग लेना; या
(iii) उधारकर्ता के दिवालियापन, दिवालियेपन, दिवालियापन समाधान या समापन में बैंक के साथ प्रतिस्पर्धा में साबित होना; या
(iv) बैंक के साथ प्रतिस्पर्धा में उधारकर्ता(ओं) या उनकी संपत्ति के ऋणदाता के रूप में दावा करना, रैंक करना, साबित करना या वोट देना; या
(v) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, वह जमानतदारों को दिए गए अधिकारों का हकदार होगा।

(b) यदि किसी गारंटर को उपरोक्त धारा 24(ए) में उल्लिखित किसी भी अधिकार के प्रयोग के परिणामस्वरूप या इस समझौते के तहत ऐसे गारंटर द्वारा किसी भी भुगतान के संबंध में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो ऐसा गारंटर उन्हें बैंक के लिए विश्वास पर रखेगा और उन्हें तुरंत बैंक को भुगतान करेगा जब तक कि ऋण से संबंधित कोई भी राशि बकाया है।

27. गारंटर इस बात से सहमत हैं कि सुविधाओं/सीमाओं के अंतर्गत बकाया राशि, जिसमें ब्याज, किस्त, शुल्क आदि शामिल हैं, के पुनर्भुगतान में उधारकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की चूक होने पर और/या गारंटर द्वारा ऋण चुकाने में किसी भी प्रकार की चूक होने पर,

इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में चूक करने के लिए, बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक को गारंटर के नाम या गारंटर/गारंटर की कंपनी/फर्म/इकाई और उसके निदेशकों/भागीदारों/मालिकों के नाम को चूककर्ता के रूप में प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, इस तरह से और ऐसे माध्यम से जिसे बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे।

28. गारंटर इसके अलावा इस बात पर भी सहमत हैं कि यदि बैंक द्वारा सुविधाओं/सीमाओं के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान के लिए उनसे मांग/दावा किया जाता है और गारंटर पर्याप्त साधन होने के बावजूद इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्व का निर्वहन करने से इनकार/उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें इरादतन चूककर्ता माना जाएगा और बैंक/आरबीआई को ऐसे गारंटर का नाम इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने और इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में बैंक/आरबीआई के दिशानिर्देशों या लागू कानून/संविधि के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू करने का पूर्ण अधिकार होगा।

29. गारंटर यह स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि .....
*(उधारकर्ता/ओं का नाम) को ऋण/अग्रिम/अन्य गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करने और उसके संबंध में गारंटी प्रस्तुत करने से संबंधित पूर्व शर्त के रूप में, बैंक को गारंटर/ओं से संबंधित जानकारी और आंकड़ों, गारंटरों द्वारा ली गई किसी ऋण सुविधा, उसके संबंध में गारंटरों द्वारा ग्रहण किए गए दायित्वों और उसके निर्वहन में की गई चूक, यदि कोई हो, के प्रकटीकरण के लिए बैंक द्वारा दी गई/दी जाने वाली ऋण सुविधा के गारंटर/ओं की सहमति की आवश्यकता है।

तदनुसार, गारंटर बैंक द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं:

a. गारंटर बैंक को समय-समय पर ऋण से संबंधित किसी भी जानकारी को बैंक की किसी भी मूल/सहायक सहयोगी/सहयोगी इकाई और बैंक द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष को सेवाओं और उत्पाद के विपणन जैसे उद्देश्यों के लिए प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है।
b. गारंटर यह समझता है कि मुझे/हमें ऋण/अग्रिम या अन्य निधि या गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करने से संबंधित पूर्व शर्त के रूप में बैंक को उसके/उनके द्वारा ली गई/ली जाने वाली ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी और डेटा तथा उसके निर्वहन में उसके/उनके द्वारा की गई किसी चूक के बारे में बैंक द्वारा प्रकटीकरण के लिए उसकी/उनकी सहमति की आवश्यकता है।
c. तदनुसार, गारंटर बैंक द्वारा ऐसी सभी या किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमत और सहमति देता है।
   I. उनसे संबंधित सूचना और डेटा
   II. उसके द्वारा ली गई/ली जाने वाली किसी भी ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और
   III. यदि उनके द्वारा कोई चूक की गई हो और उनके दायित्व का निर्वहन

d. जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को जानकारी का खुलासा और प्रस्तुत करना।
e. गारंटर यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा बैंक को दी गई जानकारी और डेटा सत्य और सही है
f. गारंटर यह वचन देता है कि
   I. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी उक्त सूचना का उपयोग, प्रसंस्करण और उपयोग कर सकती है। बैंक द्वारा डेटा का खुलासा इस तरीके से किया जाएगा जैसा कि वे उचित समझें और
   II. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

   उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उसके उत्पाद बैंक/वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना, जैसा कि आरबीआई द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
g. गारंटर इसके अलावा यह भी घोषणा करता है कि बैंक के पक्ष में प्रभार/बंधक अनुसूची में वर्णित परिसंपत्ति/संपत्ति पर प्रथम और अनन्य प्रभार के रूप में है। गारंटर पुष्टि करता है कि सुरक्षा पर कोई पूर्व प्रभार/ग्रहणाधिकार नहीं है और यह किसी भी तरह के भार से मुक्त है। गारंटर इसके द्वारा घोषणा करता है कि इस प्रकार प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले ऋण की राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए ऋण लिया गया है या प्राप्त किया जाना है।
h. गारंटर ने आगे यह भी घोषणा की है कि बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बंधक के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति में किसी भी तरह से कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जाएगा।

गारंटर इस बात से सहमत हैं कि अनुमोदित ऋण सूचना कंपनियां और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त सूचना और डेटा का उपयोग और प्रसंस्करण उस तरीके से कर सकती है, जैसा वे उचित समझें; और उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित सूचना और डेटा या उसके उत्पाद, बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रतिफल के रूप में उपलब्ध कराएंगी।

* **'बैंक' शब्द में इस प्रयोजन के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं।**

30. गारंटर इस बात पर भी सहमत होते हैं कि वे अपनी ओर से ऐसे किसी व्यक्ति को गारंटर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल नहीं करेंगे, जिसकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों या बैंक द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में की गई है। यदि कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर चूक करने वाला है, जैसा कि इसके द्वारा उल्लेख किया गया है, निदेशक मंडल में निदेशक है, तो गारंटर उसे निदेशक मंडल से हटाने का वचन देते हैं। गारंटर इस बात पर भी सहमत होते हैं कि वे गारंटर के एसोसिएशन के लेखों में आवश्यक संशोधन करेंगे, ताकि उक्त आवश्यकता को ऐसे निदेशकों को हटाने का आधार बनाया जा सके और संशोधित एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति बैंक को उपलब्ध कराई जाए। (कॉर्पोरेट गारंटर/ओं के मामले में लागू)

31. यह कि गारंटर बैंक/ऋणदाता को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संक्षेप में कोड) की धारा 3(13) में परिभाषित "वित्तीय जानकारी" का खुलासा / प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है, जो कि दी गई गारंटियों, बैंक/ऋणदाता से समय-समय पर उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण/वित्तीय सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई प्रतिभूतियों के संबंध में समय-समय पर संशोधित और लागू है, संहिता के तहत तैयार प्रासंगिक विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, संहिता की धारा 3(21) में परिभाषित किसी भी "सूचना उपयोगिता" (संक्षेप में "आईयू") को और इसके द्वारा विशेष रूप से संबंधित "आईयू" द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैंक/ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत "वित्तीय जानकारी" को तुरंत प्रमाणित करने के लिए सहमत है।

32. शासीकानून.

यह समझौता भारत के कानून के अनुसार निर्मित और शासित होगा तथा इसमें कानूनों के टकराव के सिद्धांतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

33. मध्यस्थता करना

मेंमामलाइस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में पक्षों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद को पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि पक्षों को ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने का स्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस तरह की मध्यस्थता की लागत हारने वाले पक्ष या पक्षों द्वारा या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित अनुसार वहन की जाएगी। यदि किसी पक्ष को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसे सभी उचित लागत और व्यय और वकील की फीस का भुगतान करना होगा, जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाले पक्ष द्वारा किए गए अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की कोई भी लागत शामिल है।

34. क्षेत्राधिकार

दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न और/या इससे संबंधित सभी विवाद, जिसमें कोई भी संपार्श्विक दस्तावेज शामिल है, उस शहर के सक्षम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जहां बैंक का ऋण कार्यालय स्थित है।

35.यह कि समझौते की विषय-वस्तु को पढ़ लिया गया है और उसका अनुवाद कर दिया गया है। _____[का नाम उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की स्थानीय भाषा में लिखित रूप में हस्ताक्षर करें तथा उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा उसकी विषय-वस्तु को समझ लेने के बाद इन उपहारों पर हस्ताक्षर करें।

36. एसएमए/एनपीए वर्गीकरण

उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

एसएमए / एनपीए श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिन तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए -2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक
एनपीए	90 दिन से अधिक

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 दिसंबर है[अनुसूचित जनजाति]मार्च तक की अवधि के लिए बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती है, तथा इस तिथि से पूर्व पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च होगी।[अनुसूचित जनजाति]मार्च। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 मार्च को एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा।[वां]अप्रैल, यानी लगातार 30 दिन की अतिदेयता पूरी होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 होगी।[वां]इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 अप्रैल को एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा।[वां]मई तक ऋण की अवधि समाप्त हो जाएगी और यदि आगे भी यह बकाया बना रहता है तो इसे 29 मई तक एनपीए घोषित कर दिया जाएगा।[वां]जून।"

अनुसूची।
गारंटर का प्रतिनिधित्व और वारंटी

1. स्थिति

(a) जहां गारंटर एक कंपनी है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विधिवत निगमित है और भारत के कानूनों के तहत वैध रूप से विद्यमान है।

(b) जहां गारंटर एक सीमित देयता भागीदारी है, वह सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से निगमित और पंजीकृत है और भारत के कानूनों के तहत वैध रूप से विद्यमान है।

(c) जहां गारंटर एक साझेदारी फर्म है, वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के तहत विधिवत निगमित और पंजीकृत है और भारत के कानूनों के तहत वैध रूप से विद्यमान है।

(d) गारंटर को अपनी परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखने तथा अपने व्यवसाय को उसी प्रकार चलाने का अधिकार है, जैसा कि उसका संचालन किया जा रहा है।

(e) जहां लागू हो, गारंटर स्वस्थ मस्तिष्क वाला जन्मजात व्यक्ति होना चाहिए तथा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध करने के लिए पात्र होना चाहिए।

(f) गारंटर को अपनी परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखने तथा अपने व्यवसाय को उसी प्रकार चलाने का अधिकार है, जैसा कि उसका संचालन किया जा रहा है।

2. बाध्यकारी दायित्व

(a) जहां गारंटर एक कॉर्पोरेट इकाई, एकमात्र स्वामित्व या सीमित देयता भागीदारी है, इस समझौते के तहत गारंटर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले दायित्व कानूनी, वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं।

(b) जहां गारंटर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत एक साझेदारी फर्म है, इस समझौते के तहत गारंटर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले दायित्व गारंटर के प्रत्येक भागीदार के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व हैं, जो इसकी शर्तों के अनुसार गारंटर के प्रत्येक भागीदार के खिलाफ लागू करने योग्य हैं।

3. अन्य दायित्वों के साथ गैर-संघर्ष

(a) इस अनुबंध में गारंटर द्वारा प्रवेश और निष्पादन, तथा इसके अंतर्गत परिकल्पित लेन-देन, निम्नलिखित के साथ संघर्ष नहीं करते और न ही करेंगे:

(i) कोई भी लागू कानून।

(ii) इसका एसोसिएशन का ज्ञापन या एसोसिएशन के लेख या इसका पंजीकृत भागीदारी विलेख (जैसा लागू हो); या कोई समझौता या लिखत जो इस पर या इसकी किसी भी संपत्ति पर बाध्यकारी हो।

(b) इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने या उनके निष्पादन के लिए गारंटर को किसी तीसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

4. शक्ति और अधिकार

गारंटर के पास इस अनुबंध में प्रवेश करने, निष्पादित करने और वितरित करने की शक्ति और अधिकार है, तथा उसने इस अनुबंध में प्रवेश करने, निष्पादित करने और वितरित करने, तथा इसके अंतर्गत परिकल्पित लेन-देन को अधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है।

5. साक्ष्य में वैधता और स्वीकार्यतासभी आवश्यक या
वांछनीय प्राधिकरण:

(a) गारंटर को इस अनुबंध में वैध रूप से प्रवेश करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाना।

(b) इस समझौते को भारत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाना; तथा

(c) गारंटर को अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए,

प्राप्त हो चुके हैं या प्रभावी हो चुके हैं तथा पूर्णतः लागू एवं प्रभावी हैं।

6. कोई फाइलिंग या स्टाम्प कर नहीं

कानून के तहत, स्टाम्प शुल्क के भुगतान के अलावा, जो पहले ही किया जा चुका है और इस समझौते पर प्रमाणित है, यह आवश्यक नहीं है कि इस समझौते को किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के पास दायर, रिकॉर्ड या नामांकित किया जाए या इस समझौते या इसके अंतर्गत विचारित लेनदेन पर या इसके संबंध में कोई स्टाम्प, पंजीकरण, नोटरी या समान कर या शुल्क का भुगतान किया जाए।

7. करों

(a) गारंटर ने लागू कानून के तहत भुगतान किए जाने वाले सभी करों का भुगतान कर दिया है (सिवाय इसके कि ऐसे भुगतान को सद्भावनापूर्वक चुनौती दी जा रही हो)।

(b) गारंटर को इस अनुबंध के अंतर्गत किए गए किसी भी भुगतान से आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपेक्षित कटौती के अलावा कर के लिए कोई कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

8. कोई चूक नहीं

(a) इस अनुबंध के अंतर्गत गारंटर द्वारा प्रवेश करने या इसके निष्पादन से कोई चूक जारी नहीं रह रही है या इसके परिणामस्वरूप कोई चूक होने की उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

(b) ऐसी कोई अन्य घटना या परिस्थिति नहीं है जो किसी अन्य समझौते या लिखत के तहत चूक की घटना बनती हो जो गारंटर पर बाध्यकारी हो या जिसके अधीन गारंटर की परिसंपत्तियां हों और जिसका गारंटर की स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), परिसंपत्तियों, संभावनाओं, परिचालन या व्यवसाय पर या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की गारंटर की क्षमता पर या इस समझौते के तहत बैंक के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता हो।

9. लागू कानून का अनुपालन

गारंटर सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है और उसने किसी भी लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया है (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के किसी भी नियम, विनियमन, परिपत्र, आदेश, निर्देश शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)।

10. कोई भ्रामक जानकारी नहीं

(a) इस अनुबंध के संबंध में गारंटर द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई कोई भी तथ्यात्मक जानकारी, जिसमें बैंक को प्रदान की गई वित्तीय जानकारी और डेटा शामिल है, प्रदान की गई तिथि या बताई गई तिथि (यदि कोई हो) तक सभी मामलों में सत्य, पूर्ण और सटीक थी।

(b) इस प्रकार प्रदान की गई जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है या छोड़ा गया है तथा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है या रोकी गई है जिससे यह पता चले कि गारंटर द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई जानकारी किसी भी तरह से असत्य या भ्रामक है।

11. कोई कार्यवाही लंबित नहीं

(a) गारंटर के विरुद्ध किसी भी न्यायालय, मध्यस्थ निकाय या एजेंसी (पर्यावरण कानून से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी मुकदमे सहित) द्वारा या उसके समक्ष कोई मुकदमा, मध्यस्थता, जांच या प्रशासनिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है (न ही उसके द्वारा इस संबंध में कोई नोटिस प्राप्त किया गया है), जिसके प्रतिकूल रूप से निर्धारित होने पर, गारंटर की स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), परिसंपत्तियों, संभावनाओं, परिचालन या व्यवसाय पर या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की गारंटर की क्षमता पर या इस समझौते के तहत बैंक के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

(b) गारंटर को किसी भी सरकारी प्राधिकरण से किसी लागू कानून के उल्लंघन और/या अनुपालन में विफलता के संबंध में कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है या उन्हें कोई कार्रवाई करने या छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

12. कोई प्रतिरक्षा नहीं

न तो गारंटर और न ही गारंटर की कोई भी संपत्ति भारत में मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से लागू कानून के तहत प्रतिरक्षा के हकदार हैं। इस समझौते में प्रवेश, और गारंटर के अधिकारों का प्रयोग और इस समझौते के तहत गारंटर के दायित्वों का पालन और अनुपालन, निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित निजी और वाणिज्यिक कार्यों का गठन करेगा।

13. संपत्ति और शीर्षक

गारंटर के पास अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक या वांछनीय सभी परिसंपत्तियों का अच्छा और विपणन योग्य स्वामित्व है या वह अन्यथा उनका उपयोग करने का हकदार है, जैसा कि उसका व्यवसाय चल रहा है या संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।

14. करदानक्षमता

(a) गारंटर अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम है, तथा उसने अपनी असमर्थता स्वीकार नहीं की है, तथा उसने अपने किसी भी ऋण का भुगतान स्थगित नहीं किया है।

(b) वास्तविक या प्रत्याशित वित्तीय कठिनाइयों के कारण, गारंटर ने अपने किसी भी ऋण को पुनर्निर्धारित करने के उद्देश्य से अपने एक या अधिक ऋणदाताओं के साथ बातचीत शुरू नहीं की है, और शुरू करने का इरादा नहीं रखता है।

(c) गारंटर की परिसंपत्तियों का मूल्य उसकी देनदारियों से अधिक है तथा उसके पास अपना व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

(d) गारंटर के किसी भी ऋण के संबंध में कोई स्थगन घोषित नहीं किया गया है।

(e) गारंटर के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचा) निर्देश, 2019 दिनांक 7 जून, 2019 के अंतर्गत कोई संदर्भ, पूछताछ, कदम या कार्यवाही नहीं की गई है।

(f) न तो बैंक और न ही किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान ने गारंटर में किसी अग्रिम या निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक विनियमों के तहत परिभाषित "गैर-निष्पादित परिसंपत्ति या निवेश" घोषित किया है।

(g) गारंटर ने कोई कॉर्पोरेट कार्रवाई नहीं की है और कोई अन्य कदम नहीं उठाया गया है या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही गारंटर को इसके समापन, विघटन, प्रशासन या पुनर्गठन या इसके या इसकी किसी या सभी परिसंपत्तियों या राजस्व के लिए रिसीवर, प्रशासन, प्रशासनिक रिसीवर, ट्रस्टी या समान अधिकारी की नियुक्ति के लिए इसके विरुद्ध किसी कानूनी कार्यवाही के लिए कोई नोटिस प्राप्त हुआ है।

(h) गारंटर के संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है।

15. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इस अनुबंध के अनुसरण में बैंक को सौंपे गए किसी भी दस्तावेज में गारंटर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, बैंक को दिए गए किसी भी विपरीत नोटिस के अधीन होगा, जो गारंटर की ओर से सभी दस्तावेजों और नोटिसों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है।

16. जानबूझकर चूककर्ता

(a) न तो गारंटर और न ही उसके किसी निदेशक को आरबीआई द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले के रूप में पहचाना गया है।

(b) किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान ने गारंटर को जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित करने के लिए आरबीआई को आवेदन नहीं किया है।

अनुसूची II
गारंटर के अनुबंध और वचन
भाग ए – सामान्य अनुबंध

1. प्राधिकारों
गारंटर को तुरंत:
(a) पूर्ण शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्राप्त करना, उनका अनुपालन करना और करना; तथा
(b) बैंक को प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना,
किसी भी कानून या विनियमन के तहत आवश्यक कोई भी प्राधिकरण, जो उसे इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाता है (जिसमें, बिना किसी सीमा के, इसके तहत किए जाने वाले किसी भी भुगतान के संबंध में) और इस समझौते को शामिल करने के अपने अधिकार क्षेत्र में साक्ष्य में वैधता, वैधता, प्रवर्तनीयता या स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए या अन्यथा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है।

2. कानूनों का अनुपालन
गारंटर को सभी मामलों में लागू कानून (भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के किसी भी नियम, विनियमन, परिपत्र, आदेश, निर्देश सहित, जिसके वह अधीन हो) का अनुपालन करना होगा।

3. निपटान
गारंटर अपनी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग को बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने या अन्यथा निपटाने के लिए एकल लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला (चाहे संबंधित हो या नहीं) में प्रवेश नहीं करेगा, जहां ऐसी बिक्री, पट्टे, हस्तांतरण या निपटान के परिणामस्वरूप गारंटर की स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), परिसंपत्तियों, संभावनाओं, परिचालन या व्यवसाय पर या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की गारंटर की क्षमता पर या इस समझौते के तहत बैंक के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

4. संवैधानिक दस्तावेज
बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, गारंटर अपने संवैधानिक दस्तावेजों या अपने पंजीकृत भागीदारी विलेख (जैसा लागू हो) में कोई भी संशोधन नहीं करेगा, जिससे गारंटर की स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), परिसंपत्तियों, संभावनाओं, परिचालनों या व्यवसाय पर या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की गारंटर की क्षमता पर या इस समझौते के तहत बैंक के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती हो।

5. दूरी बनाकर लेन-देन
उपरोक्त अनुच्छेद 4 के तहत अपने दायित्वों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि गारंटर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था, समझौता या प्रतिबद्धता (किसी व्युत्पन्न लेनदेन सहित) करता है या व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी खाते में कोई शुल्क, कमीशन या अन्य राशि का भुगतान करता है, तो उसे लागू कानून के तहत उसके संबंध में सभी आवश्यक खुलासे और फाइलिंग करनी होगी।

6. करों
(a) गारंटर को गारंटर और उसकी संबंधित परिसंपत्तियों पर दंड लगने से पहले सभी करों, दरों, किराये और सरकारी प्रभारों का भुगतान और भुगतान करना होगा तथा देय होने वाले किसी भी कर, दरों, किराये और सरकारी प्रभारों के भुगतान के लिए पर्याप्त आरक्षित निधि स्थापित करनी होगी, जब तक कि ऐसे करों, दरों, किराये और सरकारी प्रभारों पर उचित कार्यवाही द्वारा सद्भावपूर्वक विरोध न किया जा रहा हो।
(b) गारंटर को लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत आवश्यक सभी फाइलिंग करनी होगी (जिसमें, बिना किसी सीमा के, किसी भी सरकारी प्राधिकरण के साथ नियमित कर रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता भी शामिल है)।

7. व्यापार
(a) गारंटर अपना व्यवसाय समुचित परिश्रम और दक्षता के साथ तथा योग्य और अनुभवी प्रबंधन कार्मिकों के साथ सुदृढ़ इंजीनियरिंग, तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय मानकों और व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार संचालित करेगा।
(b) गारंटर अपने व्यवसाय की सामान्य प्रकृति में, जैसा भी मामला हो, कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करेगा, जैसा कि इस अनुबंध की तिथि पर वास्तव में किया जा रहा था।

8. जानबूझकर चूककर्ता
यदि गारंटर का कोई निदेशक जानबूझकर चूककर्ता पाया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को निदेशक पद से हटा दिया जाए।

भाग बी – सूचना अनुबंध

1. वित्तीय विवरण
गारंटर, सुविधाओं और इस गारंटी की अवधि के दौरान बैंक को सत्य और सही वित्तीय जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें इससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण डेटा शामिल है, जो उधारकर्ता को स्वीकृत या स्वीकृत की जाने वाली उक्त सीमाओं को देने और जारी रखने के बैंक के वाणिज्यिक निर्णय को प्रभावित करता है।

2. <u>जानकारी: विविध</u>

गारंटर बैंक को निम्नलिखित चीजें उपलब्ध कराएगा:

(a) यदि उसे इसकी सूचना हो तो तुरन्त कार्रवाई करें:

(i) कोई सूचना, पत्र, संचार या कोई अन्य दस्तावेज जिसके बारे में गारंटर को जानकारी हो या जिसका ज्ञान उसे किसी व्यक्ति या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रक्रिया (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) शुरू करने के संबंध में हो या किसी व्यक्ति द्वारा (किसी भी सरकारी प्राधिकरण (जिसमें बिना किसी सीमा के भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है)) या किसी सरकारी प्राधिकरण (जिसमें बिना किसी सीमा के भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है) द्वारा उसके संबंध में किया गया आवेदन या किया जाने का प्रस्ताव/धमकी दी गई हो; या

(ii) कोई भी मुकदमा या कार्यवाही जो पूर्णतः या आंशिक रूप से गैर-मौद्रिक प्रकृति की हो, जिसकी शुरुआत की गई हो

(iii) इसके विरुद्ध कोई दायित्व हो सकता है, जो प्रतिकूल रूप से निर्धारित होने पर, गारंटर की स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), परिसंपत्तियों, संभावनाओं, परिचालनों या व्यवसाय पर, या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की गारंटर की क्षमता पर, या इस समझौते के तहत बैंक के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है; या

(iv) यदि किसी सम्पत्ति या कारोबार या उपक्रम के संबंध में रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो उसके संबंध में जानकारी;

(b) तत्काल और किसी भी स्थिति में ऐसी घटना के घटित होने के 3 (तीन) व्यावसायिक दिनों के बाद नहीं, गारंटर के खिलाफ किसी भी मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, जांच या प्रशासनिक कार्यवाही या श्रम विवाद का विवरण (लिखित रूप में) जो वर्तमान में लंबित है या जिसके संबंध में कोई नोटिस उधारकर्ता को प्राप्त हुआ है और जो यदि प्रतिकूल रूप से निर्धारित किया जाता है, तो गारंटर की स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), परिसंपत्तियों, संभावनाओं, संचालन या व्यवसाय पर या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और उनका पालन करने की गारंटर की क्षमता पर या इस समझौते के तहत बैंक के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(c) गारंटर के प्रस्तावित विलय, एकीकरण या पुनर्निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी तुरंत प्रदान करना;

(d) गारंटर की वित्तीय स्थिति, व्यवसाय और परिचालन के संबंध में बैंक द्वारा यथोचित रूप से मांगी गई अतिरिक्त जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना;

(e) किसी भी दोष से संबंधित समस्त जानकारी जो बैंक के हितों, अधिकारों और दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, या जिसके कारण बैंक इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, तुरंत उपलब्ध कराएगा;

(f) गारंटर के व्यवसाय की प्रकृति और आचरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा, जिसके परिणामस्वरूप गारंटर की स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), परिसंपत्तियों, संभावनाओं, परिचालन या व्यवसाय पर या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की गारंटर की क्षमता पर या इस समझौते के तहत बैंक के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है, व्यवसाय में ऐसा परिवर्तन करने से पहले; और

(g) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरन्त, उसके किसी निदेशक या उसके कंपनी सचिव या गारंटर के साझेदार (यदि लागू हो) द्वारा हस्ताक्षरित, जिसके नमूना हस्ताक्षर पहले ही बैंक को उपलब्ध करा दिए गए हैं, तथा साथ में (जहां प्रासंगिक हो) प्रत्येक नए हस्ताक्षरकर्ता का नमूना हस्ताक्षर भी होना चाहिए;

(h) दिवालियापन प्रक्रिया (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) आरंभ करने के लिए गारंटर द्वारा कोई निर्णय लेने के तुरंत बाद या गारंटर की दिवालियापन प्रक्रिया (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) आरंभ करने के संबंध में गारंटर के निदेशक मंडल या भागीदारों द्वारा कोई चर्चा किए जाने के तुरंत बाद।

3. <u>डिफ़ॉल्ट की अधिसूचना</u>

गारंटर को गारंटर के संबंध में या उसके कारण हुई किसी चूक तथा किसी घटना या परिस्थिति की बैंक को सूचना देनी होगी, जो उस पर बाध्यकारी किसी अन्य महत्वपूर्ण समझौते के तहत चूक की घटना (चाहे उसे किसी भी रूप में वर्णित किया गया हो) बनती हो (और प्रत्येक मामले में, उसे ठीक करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी सूचना देनी होगी) तथा घटना के घटित होने के 3 (तीन) व्यावसायिक दिनों के बाद किसी भी स्थिति में नहीं।

4. <u>पुस्तकें, अभिलेख और निरीक्षण</u>

(a) गारंटर को लागू कानून और गारंटर के व्यवसाय के अनुसार उचित लेखा पुस्तकें रखनी होंगी, जैसा भी मामला हो, और उक्त लेखा पुस्तकें तथा गारंटर के मामलों से संबंधित अन्य सभी पुस्तकें, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज अपने पंजीकृत कार्यालय में रखने होंगे।

(b) बैंक के अनुरोध पर, गारंटर बैंक और उसके किसी भी प्रतिनिधि, पेशेवर सलाहकार और ठेकेदार को गारंटर की लागत पर निम्नलिखित तक पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें अनुमति देगा:

(i) किसी भी परिसर या संपत्ति में सभी उचित समय पर प्रवेश करना;

(ii) प्रत्येक मामले में उचित समय पर और पूर्व उचित सूचना पर, जैसा भी मामला हो, गारंटर की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच, निरीक्षण और प्रतियां बनाना; तथा

(iii) गारंटर के मामलों, वित्त और खातों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करना तथा उनसे सलाह लेना।

5. <u>अपने ग्राहक को जानें" जाँच</u>

गारंटर को बैंक को वह सभी सूचनाएं प्रस्तुत करनी होंगी जो लागू कानून द्वारा अपेक्षित सभी "अपने ग्राहक को जानें" जांचों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित हैं।

जिसके साक्ष्य स्वरूप गारंटर (गारंटर) और बैंक ने ऊपर पहले उल्लिखित स्थान और तारीख पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

6. <u>स्वीकार</u>

मैंने/हमने सम्पूर्ण अनुबंध पढ़ लिया है/समझा दिया गया है तथा इसे मेरी/हमारी उपस्थिति में पूरा किया गया है।

मैं/हम जानते हैं कि बैंक मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इस समझौते का पक्ष बनने के लिए सहमत है।

गारंटर			
1.			शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए
नाम			
2.			अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम			
3.			
नाम			
4.			
नाम			
5.			
नाम			
6.			
नाम			
7.			
नाम			
8.			
नाम			
9.			
नाम			
10.			
नाम			

अनुसूची III
घोषणा

मैं/हम सहमत हैं, घोषणा करते हैं, वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची, उनके पूर्ण नाम और पते के साथ, जैसा कि नीचे दिया गया है, बैंक को मेरे या हममें से किसी के निधन की स्थिति में/बैंक द्वारा मुझे/हमें दी गई ऐसी ऋण सुविधाओं के लंबित रहने के दौरान उनमें से किसी से भी अपने बकाये की वसूली के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए है।

नाम का the गारंटर	नाम कानूनी वारिसों	उसकी उम्र	के साथ संबंध गारंटर	पतों

मैं/हम नीचे अपनी/हमारी चल/अचल संपत्तियों का विवरण भी दे रहे हैं।

विवरण	विवरण का चल/ अचल गुण बुद्धि एच भरा हुआ पता (कहाँ स्थित है)	किसके नाम पर संपत्ति खड़ा	उपस्थित भार	चाहे पट्टे पर दिया /स्वामित्व/ पूर्ण अधिकार	वर्तमान बाजार मूल्य
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	

गारंटर

1. _____

नाम _____

2. _____

नाम _____

3. _____

नाम _____

4. _____

नाम _____

5. _____

नाम

6. _____

नाम _____

7. _____

नाम _____

8. _____

नाम _____

9. _____

नाम _____

10. _____

नाम _____

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

_____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता